वर्ष : 19 अंक : 3 कुल अंक : 67 सितंबर-दिसंबर, 2014

विचार

वित्तीय समावेशन

सार्वजनिक सरकारी योजनाएं प्रभावी क्रियान्वयन की ओर...

यूरोपीय संघ

25 Years उन्नति
UNNATI

अनुक्रम

संपादकीय **3**

■ **विकास विचार**

- ■ प्रधानमंत्री जन धन योजनाः वित्तीय समावेशन के लक्ष्य **4**
- ■ भारत अलगाव (बहिष्करण) रिपोर्ट - 2013-14 **7**
- ■ महिलाओं पर यौन हिंसा से संबंधित आपराधिक कानून **17**
- ■ सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के तहत स्वेच्छा से सूचना देना (पहल करना) **22**

■ **संदर्भ सामग्री** **25**

■ **गतिविधियाँ** **26**

सार्वजनिक सरकारी योजनाएं प्रभावी क्रियान्वयन की ओर...

भारत सरकार ने आम आदमी के हित में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार में, सामाजिक सुरक्षा, आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं और कार्यान्वयन तंत्र बनाया है। लेकिन लोगों की अक्सर शिकायतें आती हैं कि कार्यक्रम लोगों तक बेहतर तरीके से नहीं पहुँचते हैं। पिछले दिनों में कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष हस्तांरित लाभ (पहल) - Direct Benefit Transfer करने के प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में यह प्रयास पूरे देश में रसोई गैस के लिए क्रियान्वित किया गया है। सीधे लाभ हस्तांरण के लिए बैंक के साथ लिंक करना महत्वपूर्ण है जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गति प्रदान की है। बैंक खाते को 'आधार' कार्ड से लिंक करने पर ही वास्तव में सब्सिडी का रिसाव कम हो सकता है। कुल मिलाकर डिजिटाइजेशन और सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सार्वजनिक कार्यक्रम पूरी तरह से रिसाव के बिना लोगों तक पहुंच सकेंगे। बॉयोमीट्रिक जांच से सार्वजनिक वितरण योजनाओं का कार्यान्वयन इस दिशा में एक उदाहरण है।

बॉयोमीट्रिक सत्यापन में कुछ तकनीकी कठिनाइयां सामने आई हैं। कभी-कभी उंगलियों के निशान घर्षण या किसी अन्य कारण से बदल जाते हैं, जिससे बॉयोमीट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है। वर्तमान में यह डेटाबेस उतना सक्षम नहीं है कि घर के अन्य सदस्यों के बायोमीट्रिक डेटा इसमें शामिल हो सकें और यह समस्या दूर हो सके। जैसे, वर्तमान में राज्य एक करोड़ से अधिक लाभार्थी परिवारों का बायोमीट्रिक पंजीकरण हुआ है और सभी परिवारों में तीनों सदस्यों के नाम डेटाबेस में पंजीकृत हों तो तीन करोड़ हो जाएंगे। लेकिन सभी लाभार्थियों के नाम 'आधार कार्ड' से जुड़ जाएं तो यह समस्या दूर हो सकती है।

श्री शांता कुमार पैनल ने खाद्य सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष हस्तांरित लाभ (पहल) की सिफारिश की है। इसके साथ ही अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण के प्रयोजन के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने की सिफारिश की है। इस पैनल ने खाद्य सुरक्षा को सभी लोगों के लिए करने का विरोध किया है। मुख्य मुद्दा है कि यह कितना सफल रहेगा।

डिजिटाइजेशन और प्रत्यक्ष हस्तांरित लाभ (पहल), सार्वत्रिक सेवाओं और लोक भागीदारी जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों को मजबूत किया जा सकता है, विशेष रूप से नागरिक भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नागरिक समुदायों को कार्यक्रमों के आयोजन, क्रियान्वयन, निगरानी और सामाजिक ऑडिट करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए समुदायों में से ही 'शिक्षा कर्मियों' को तैयार किया गया और उससे शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। एक अन्य उदाहरण रोगी कल्याण समिति के गठन का है जिसमें यह समिति लोगों तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों तक पहुँचने की देखरेख कर रही है। ऐसी समितियां समुदायों की जरूरतों को प्रशासनिक तंत्र तक पहुंचा करके कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मजबूत कर रही हैं। तीसरा अच्छा अनुभव मनरेगा के सामाजिक ऑडिट का है। सामाजिक ऑडिट से कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ी है और रिसाव भी कम हुआ है। जब देश 'डिजिटल भारत', 'प्रत्यक्ष हस्तांरित लाभ' (पहल), 'प्रधानमंत्री जन धन' जैसे कार्यक्रमों की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब नागरिक भागीदारी भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। जब सार्वजनिक कार्यक्रम इन सभी पहलुओं को मजबूत करेंगे तभी कार्यान्वयन के प्रभावी होने की उम्मीद की जा सकती है।

प्रधानमंत्री जन धन योजनाः वित्तीय समावेशन के लक्ष्य

(यह आलेख गांधीनगर में 9 दिसंबर, 2014 को ग्रामीण विकास विभाग, गुजरात सरकार द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय परिषद् के उद्घाटन के अवसर पर श्री अनुराग जैन (आईएएस), संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार - मिशन निदेशक, प्रधान मंत्री जन धन योजना - पीएमजेडीवाई की प्रस्तुति में से ले लिया गया है।)

15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'जन धन योजना' और उसे मिलने वाली सहायता के बारे में घोषणा की, जिसके साथ ही वित्तीय समावेशकता को एक नया आयाम मिल गया है। केन्द्र सरकार के वित्तीय सेवा सचिव को योजना की प्रगति के बारे में कैबिनेट को नियमित रूप से जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया है। इससे ही इस कार्यक्रम के महत्व को समझा जा सकता है।

कई बैंकरों ने इसे स्वागत योग्य पहल माना है, वहीं कुछ बैंकरों ने इसके महत्व और प्रासंगिकता के बारे में सवाल खड़े किए हैं कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम पहले से ही कार्यरत है तो यह नया कार्यक्रम किस तरह से अलग है? नये वित्तीय समावेशन की कुछ अनोखी विशेषताएं हैं:

(1) यह समझना आवश्यक है कि 'प्रधानमंत्री जन धन योजना', 'सबका साथ, सबका विकास' नारे का अनुसरण करती है।

(2) अध्ययनों से यह स्पष्ट पता चलता है कि वित्तीय समावेशन हासिल हो जाए तो उसके माध्यम से विकास भी प्राप्त किया जा सकता है। इससे विकास में एक प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।

(3) एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह गलत तरीके से ऊंची ब्याज दर पर उधार देने वालों का धंधा खत्म कर सकती है। हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में अनधिकृत ब्याज दर 10 प्रतिशत प्रति माह तक ऊंची है। कुछ लोग मात्र 1,000 रुपये या 2,000 रुपये के ऋण के लिए कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।

(4) वित्तीय समावेशन की व्यवस्था अधिक पूंजी आधारित लेनदेन से कम पूंजी आधारित लेनदेन की ओर आगे बढ़ेगी।

(5) डिजिटल भारत की पहल के प्रयोग से - रुपे कार्ड और मशीनों के प्रयोग से सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा उच्च स्तर को कम किया जा सकता है। इससे डिजिटल लेनदेन को गति मिलेगी।

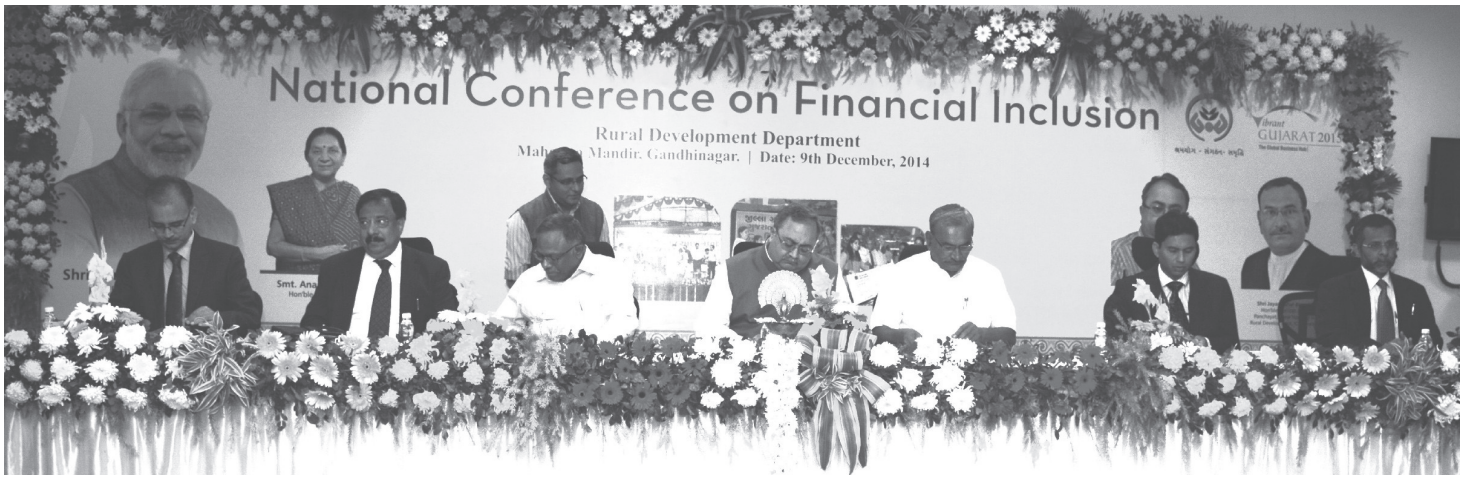

आइएफ का स्पष्ट परिणाम यह है कि देश डिरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) के लिए तैयार है और प्रशासन में सुधार हुआ है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र लोगों को सब्सिडी देने का लक्ष्य भी इस प्रणाली के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने 54 जिलों में रसोई गैस (डीबीटीएल) के लिए डिरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर की शुरूआत कर दी है, और 1 जनवरी, 2015 से इस डिरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर में पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा। डीबीटीएल क्षेत्र में धीमी गति से आगे बढ़ने की सावधानी बरती जा रही थी, लेकिन इस काम को एक साथ पूरा करने का उच्च स्तर से स्पष्ट संदेश मिल गया था। मंत्रालय का अनुमान है कि कुल 60,000 करोड़ रुपए एलपीजी सब्सिडी राशि को हस्तांतरित किया जाएगा। एलपीजी सब्सिडी प्राप्तकर्ताओं की संख्या को कम किए बिना रिसाव को रोककर डीबीटीएल 10,000 करोड़ रुपये की बचत करेगा। यही बात मिट्टी के तेल के लिए भी लागू होगी। डीबीटी से मिट्टी के तेल में भारी बचत होने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सब्सिडी लक्ष्य को सरलीकृत किया जाएगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गुजरात राज्य ने 33 जिलों में से 31 जिलों के सभी घरों को कवर कर लिया है। पूरी तरह कवर नहीं किए गए दो जिलों में अब गिनती के घर ही बाकी रहे हैं, और इन घरों को भी एक सप्ताह में शामिल कर लिया जाएगा ।

हर बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए ईडी को नियुक्त किया है और वे हर बुधवार को स्थिति की समीक्षा करते हैं। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास सचिव की टिप्पणियों के संदर्भ के हवाले से श्री जैन ने उल्लेख किया है कि बैंक खाता खोलना बहुत मुश्किल काम नहीं है, असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि खातों का इस्तेमाल हो और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हों। बैंक खाता खुलवाने के बाद अगला कार्य बैंकिंग सेवाओं को सर्वव्यापी बनाना है - देश के हर नागरिक के लिए 5-7 किमी पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। बैंकों ने जिला प्रशासन के साथ परामर्श करके क्षेत्र को सेवा उप-क्षेत्रों में विभाजित करने का अनुरोध किया गया है और ये क्षेत्र - सावधि जमा - ऑनलाइन - इंटर ऑपरेटेबल बैंकिंग संवाददाता (बीसी) के माध्यम से सेवा प्रदान करेंगे। पिछले वित्तीय समावेशन (एफआई) और इस मौजूदा एफआई के बीच यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। पिछले कार्यक्रम में बीसी की सुविधा सप्ताह में एक बार ही उपलब्ध थी। यह व्यवस्था पैसे निकालने के लिए जमाकर्ता की आवश्यकता के साथ संगत नहीं होने के कारण को इसे विश्वसनीय नहीं माना जाता था। यह समझा जा सकता है कि बीसी की पुरानी व्यवस्था में लोगों को भरोसा नहीं था।

अब, नई प्रणाली के तहत (फिक्स्ड पॉइंट - ऑनलाइन - इंटर ऑपरेटेबल), उपयोगकर्ता को बैंक में लेन-देन करने के लिए समान ही अनुभव होता है। इसमें 'इलेक्ट्रॉनिक नो योअर क्लाइंट' (ईकेवाईसी) के साथ खाता खोलने की क्षमता है।

इसमें सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड नंबर का प्रयोग किया जाता है। अनपढ़ लोगों और रुपया कार्ड लेनदेन नहीं करने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड व्यवस्था के तहत भुगतान की व्यवस्था

डीबीटीएल योजना (पहल) का प्रारंभ

54 जिलों में पुनः आरंभ की गई एलपीजी (डीबीटीएल) योजना - प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) को 1 जनवरी, 2015 से देश के बाकी 622 जिलों में शुरू कर दिया गया है।

इस योजना में देश के 676 जिलों में 15.3 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को कवर किया जाएगा। इस समय, 6.5 करोड़ (43 प्रतिशत) से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल किया गया है। उन्हें सब्सिडी उनके अपने बैंक खाते में मिलेगी। गुजरात में 65.56 लाख लोग एलपीजी धारक हैं जिनमें से 24.3 लाख उपभोक्ताओं को केश ट्रांस्फर कम्पलेईन्ट (सीटीसी) बना दिया गया है। डीबीटीएल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ सीधे उन्हें मिले।

योजना में शामिल होने उपभोक्ताओं को अपने आधार नंबर को बैंक खातों के साथ जोड़ना होगा या अपनी बैंक खातों को सीधे रसोई गैस के 17 अंकों के आईडी के साथ जोड़ना होगा।

सुरक्षित रहती है। वर्तमान में, देश के लगभग 60 प्रतिशत लोगों के पास आधार नंबर है। जिनके पास आधार नंबर नहीं है वे निकटतम शाखा या एटीएम पर जाकर रुपे कार्ड का उपयोग करके लेनदेन कर सकते हैं, जिनमें इंटर ऑपरेटेबल सुविधा है। हालांकि, उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा तीसरा देश है जहां पूरे देश को कार्ड प्रणाली के तहत कवर किया गया है। भारत ने ऐसी स्वदेशी प्रणाली विकसित की है, जो 'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम' द्वारा संचालित है और यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है। पिछले तीन महीनों में, 5.5 करोड़ रुपे कार्ड वितरित किये गये हैं।

बैंक खाता खुलवाने के बाद फिक्स्ड पॉइंट - ऑनलाइन - इंटर ऑपरेटेबल बीसी की स्थापना के बाद और उसे पूरी तरह कार्यरत करने के बाद, वित्तीय समावेशन को कार्यरत और कारगर बनाने में दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं:

(1) व्यापक स्तर पर वित्तीय साक्षरता का कार्य शुरू करना। व्यक्ति को बैंक खाता खोलने के उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। खाता खोलने के डीबीटी के उद्देश्य को आसानी से समझा जा सकता है। जिस व्यक्ति को डीबीटी प्राप्त नहीं होती हो, तो खाता निष्क्रिय किया जा सकता है। व्यक्ति को समझ लेना जरूरी है कि बचत की आवश्यकता क्या है और ब्याज कैसे मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सामाजिक संदेशों के साथ आईईसी सामग्री तैयार की है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें सुधार भी किया जा सकता है।

(2) नए ग्राहक की ओर बैंकर का दृष्टिकोण या व्यवहार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नए ग्राहक का बैंक में स्वागत किया जाना चाहिए। वित्तीय समावेशन (एफआई) एक व्यावसायिक अवसर है। नए कार्यक्रम का मूलभूत दस्तावेज़ तैयार करते समय तीन बैंकों (एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक) एफआई वर्टिकल के विवरण का अध्ययन किया गया। पता चला है कि दो बैंकों को मामूली लाभ हो रहा है, लेकिन तीसरे बैंक का नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन उसे जल्द ही लाभ मिलने की उम्मीद है। बैंकों को यह समझना चाहिए कि एफआई कोई सामाजिक अनुदान गतिविधि नहीं है। हर कोई जानता है कि पिछले तीन महीनों में, 6.5 करोड़ शून्य शेष राशि बैंक खाते खोले गये हैं, इस दौरान इन खाता धारकों ने 6,500 करोड़ रुपए जमा की थी। व्यक्ति का खाता खोलने के समय बैंकर रकम जमा करने से इनकार करते हैं। बैंकों को समझना चाहिए कि बैंक के अपने खाते में जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा (ओवरड्राफ्ट) क्रेडिट व्यापार की आधारशिला है। इस ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा के बारे में कुछ मुद्दे चिंता के विषय रहे हैं।

एक चिंता का विषय यह है कि लोग एक से अधिक बैंकों से पैसे लेकर फरार हो सकते हैं। इस मुद्दे को हल कर दिया गया है। एनपीसीआइ में मैपर है। जब किसी को ओडी दिया जाता है तो एनपीसीआइ मैपर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा, आधार को भी उसमें जोड़ा जाएगा। आधार नंबर से एनपीसीआइ सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। आधार नंबर शामिल करने के बाद कई बैंकों एनपीसीआइ मैपर से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार, एक बैंक ने किसी व्यक्ति को ओडी दी हो तो अन्य बैंक उस व्यक्ति के ओडी अनुरोध को ठुकरा सकते हैं।

'संतोषजनक प्रदर्शन' अवधारणा को भी ध्यान में रखा गया है। बैंकरों के मुख्य समूह ने संतोषजनक प्रदर्शन को परिभाषित किया है। यह निर्धारित करने के बाद, ओवरड्राफ्ट (ओडी) के लिए व्यक्ति की पात्रता की जांच करने के लिए एक समान प्रणाली के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा। पात्रता की जानकारी सॉफ्टवेयर के द्वारा प्राप्त की जाएगी। शाखा प्रबंधक को सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कार्य करना होगा।

एफआई का 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (एनआरएलएम) के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह दूरदराज के गांवों में वित्तीय साक्षरता का विस्तार कर सकता है। इसके अलावा, बीमा और पेंशन संदेश को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। रुपया कार्ड ने एलआईसी के द्वारा एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा किया है। पहली बार खाता खुलवाने वालों को 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक

शेष पृष्ठ 30 पर

भारत अलगाव (बहिष्करण) रिपोर्ट - 2013-14

'उन्नति' के प्रोग्राम काओर्डिनेटर **श्री हितेन्द्र चौहान** द्वारा प्रस्तुत लेख 'भारत अलगाव (बहिष्करण) रिपोर्ट (इन्डिया एक्सक्लुजन रिपोर्ट) 2013-14' का सार है।

प्रस्तावना

भारत में, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी लोगों को कितनी मात्रा में बुनियादी आम सेवाओं के साथ जोड़ दिया गया है इसका आकलन भारत अलगाव रिपोर्ट 2013-14 में किया गया है। इसमें अलग-अलग स्रोतों के आधार पर यह पता करने का प्रयास किया गया है कि किन प्रक्रियाओं, कानूनों, नीतियों और संस्थाओं द्वारा किस-किस वर्ग और समूह के सदस्य सेवाओं से वंचित रह गए हैं। इसके साथ ही अलगाव के प्रभाव को भी समझने की कोशिश की गई है। इसके अलावा, इस तरह के अलगाव को दूर करने के लिए और रोकने और बुनियादी आम सेवाओं के बेहतर और सक्षम प्रावधान के लिए लोगों के प्रयास, नीति, कानून, और संस्थागत सुधार के लिए सिफारिश की गई है।

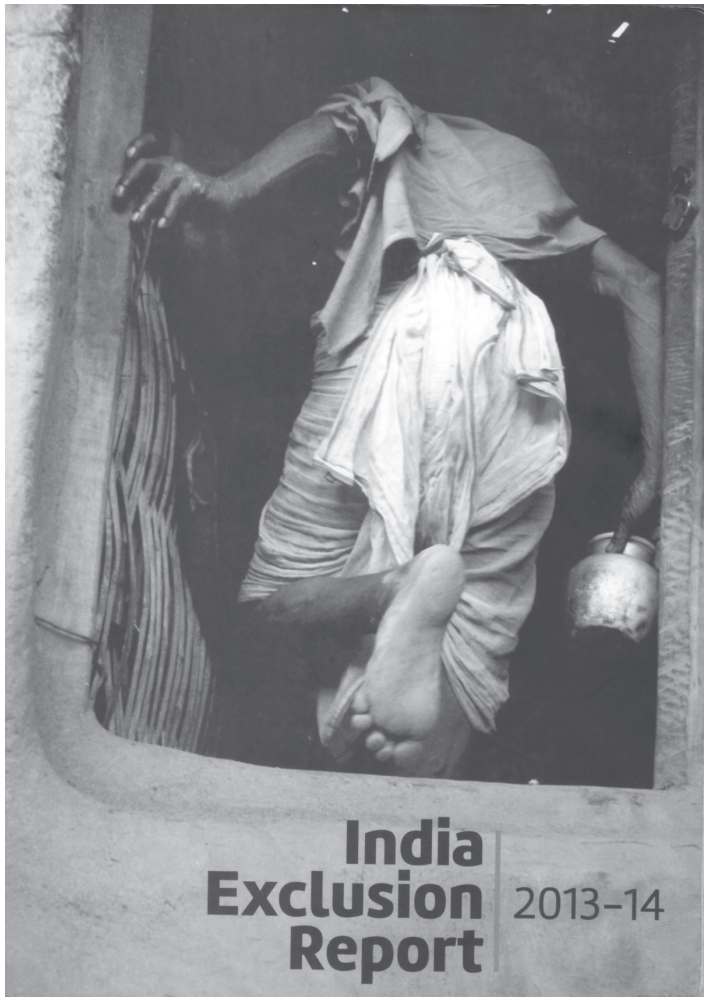

भारत की अलगाव रिपोर्ट 2013-14 में चार सेवाओं - (1) स्कूली विकास (2) शहरी आवास (3) मजदूरों को सम्मानजनक रोजगार, और (4) आतंकवाद विरोधी कानूनों में कानूनी न्याय को शामिल किया गया है।

(१) स्कूली शिक्षा

शिक्षा द्वारा सामाजिक समता, समान भागीदारी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार, शिक्षा एक महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा है।

वंचित समूह

भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 100 फीसदी बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान में बच्चों की बड़ी संख्या 'अदृश्य' है - विशेष रूप

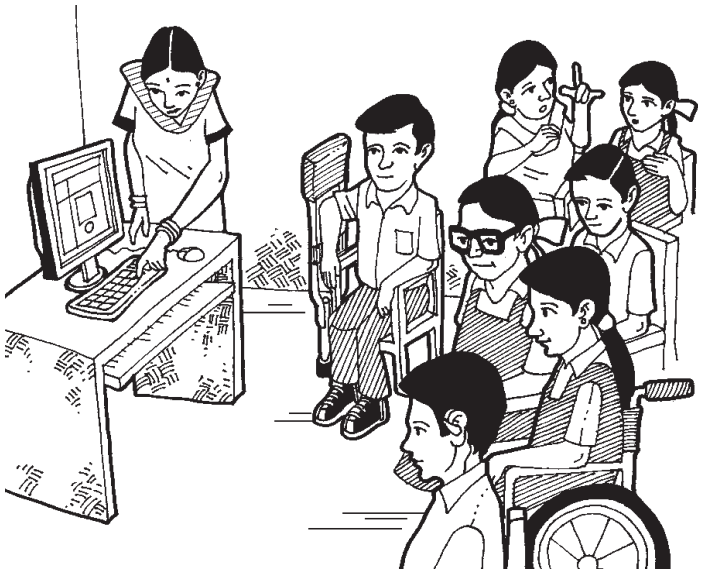

से इधर-उधर भटकते (बेकार) बच्चे। वर्ष 2011 में किए एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में ही लगभग 50,000 बेकार बच्चे थे और उनमें से आधे निरक्षर थे, जबकि केवल 20 प्रतिशत औपचारिक शिक्षा के साथ जुड़े हुए थे। 'यूनिसेफ' के 1994 के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1.1 करोड़ बेकार बच्चे हैं। क्राई-भारत के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 50 लाख बच्चे व्यावसायिक सेक्स वर्कर के रूप में काम करते हैं, उनमें से 71 प्रतिशत निरक्षर हैं। लगभग 60 लाख बच्चे स्थलांतरण के कारण नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते, और 2011 में 14 साल से कम के लगभग 14.5 लाख बच्चे एचआईवी-एड्स से ग्रस्त थे।

स्कूल में प्रवेश की अच्छी प्रतिशत होने के बावजूद दलित, आदिवासी, मुस्लिम और विकलांग बच्चों में अधिकांश बच्चे कक्षा-10 से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। एन.एस.एस. (2007-08) के अनुसार सबसे कमजोर वर्गों के 10 प्रतिशत बच्चों में से 50 प्रतिशत बच्चे अनपढ़ हैं, जबकि ऊपर के वर्गों के 10 प्रतिशत बच्चों में शिक्षा का स्तर लगभग 88 प्रतिशत है।

अलगाव की प्रक्रिया

- **कानून और नीति का दोषपूर्ण ढांचा:** सरकार के खंड आधारित शिक्षण के दृष्टिकोण से खास समूह को गुणवत्ताहीन शिक्षा की सुविधा मिलती है। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिए बिना वंचित बच्चों को केवल 'लाभ' से ही स्कूल से जोड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई है। सरकार द्वारा 'अदृश्य' गुणवत्तायुक्त शिक्षा के बजाए 'दृश्य' भौतिक संसाधनों पर अधिक जोर दिया गया है। निजी स्कूल बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा एक अलग वर्ग के लिए स्कूलें चलाई जा रही हैं जिनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सर्व शिक्षा अभियान भी अपेक्षित परिणाम नहीं ला पाई है। शिक्षा के अधिकार के समुचित कार्यान्वयन से स्कूलों में आमूल-चूल बदलाव आ सकता है। लेकिन, शिक्षा के अधिकार ने इसके कार्यान्वयन में शामिल लोगों के परिप्रेक्ष्य में बदलाव नहीं किया है। इस कानून में बेकार बच्चों और आप्रवासियों के बच्चों जैसे वंचित समुदायों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा, इस कानून में लोगों द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभाग को की गई शिकायतों को दूर करने के लिए जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।
- **कानून और नीति के क्रियान्वयन में विफलता और संस्थागत पूर्वाग्रह:** शिक्षा के कानून में उल्लेखित नौ आवश्यक सुविधाएं अधिकांश स्कूलों में नहीं हैं। इन सुविधाओं के लिए सरकार की मार्च-2013 की समय सीमा के बाद भी लगभग 13 लाख सरकारी स्कूलों में से केवल 10 फीसदी स्कूलों में ही ये सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकी हैं। सुविधाओं के अभाव में कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल जाने के लिए उचित रैंप नहीं होने की वजह से विकलांग बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि शौचालय के अभाव में छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं। सरकार ने निवास से एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक और तीन किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था की है। लेकिन, केवल इसी नीति से सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना सुनिश्चित नहीं होता। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व के कारण एक ही स्कूल में सभी बच्चों को समाया नहीं जा सकता। एक अनुमान के मुताबिक, लगभग 4 प्रतिशत आबादी के लिए चलकर जा सकने वाले स्थलों में स्कूल की सुविधा नहीं है। शिक्षा में जागरूकता और सामाजिक समावेश के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पाठ्यक्रम में लिंग आधारित लकीर के फकीर की मान्यता को मजबूत करने के उदाहरण हैं, उसी तरह अल्पसंख्यक बच्चे धार्मिक विधि और प्रतीकों से शिक्षा में अलगाव महसूस करते हैं। पाठ्यक्रम में जनजातीय सांस्कृतिक अधिकार को ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदिवासी बच्चों को भाषा की कठिनाई होती है। उसी तरह, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे भी अलग-थलग महसूस करते हैं।
- **अन्याय और भेदभाव:** स्कूल में शिक्षकों के वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नकारात्मक दृष्टिकोण और भेदभाव और अलगाववादी व्यवहार के कारण कुछ बच्चे स्कूल में पूरी तरह से सहभागी नहीं बन पाते और शिक्षा में पूरी ताकत से प्रयास नहीं कर पाते। इस तथ्य का एक उदाहरण वंचित समुदाय के बच्चों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक दंड भुगता जाना है।

कई बार बच्चों को भेदभावपूर्ण तरीके से संबोधित किया जाता है। दलित और आदिवासी बच्चों को मिले आरक्षण के कारण उनकी गुणवत्ता पर सवाल करके उनको मेहनत करने से रोका जाता है। कक्षा में इन बच्चों को महत्व नहीं दिया जाता है। इससे उनमें नेतृत्व का विकास नहीं हो पाता। कई बार बच्चों के रंग को नकारात्मक तरीके से लक्षित किया जाता है।

- **अपर्याप्त और अनुचित वित्तीय प्रावधानः** डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग (1966) की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत का उपयोग शिक्षण के लिए होना चाहिए, लेकिन 2012-13 में यह 2.75 प्रतिशत था। सर्व शिक्षा अभियान में खर्च की मात्रा कम होती जा रही है, जैसे वर्ष 2008-09 में यह प्रावधान का 77 फीसदी था, जबकि वर्ष 2010-11 में यह 69 प्रतिशत था। इसके अलावा, अधिकांश व्यय भौतिक संसाधनों के लिए होता है, जबकि शिक्षण को गुणवत्ता बनाने के लिए या शिक्षकों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर खर्च कम होता है। जो कुछ खास प्रावधान किए गए हैं वे अपर्याप्त हैं।

अलगाव के प्रभाव

जो बच्चे स्कूल में भेदभाव, पूर्वाग्रह, बेदरकारी और शिक्षक और सहपाठियों के दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं, उसका नतीजा उनका स्कूल छोड़ना या अनियमित हो जाना होता है। कई बार वे न्यूनतम पढ़ने और लिखने जितना भी नहीं सीख पाते हैं। उनमें से कई माता-पिता के साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने लग जाते हैं जहां असुरक्षा और अन्याय होता है। इन बच्चों के लिए जीवन भर गरीबी का चक्र तोड़ना असंभव हो जाता है। अपर्याप्त अध्ययन उन्हें जीवन में सही जगह नहीं दे पाता है। कई बार गुणवत्ताहीन शिक्षा गरीबों में प्रचलित असमानता को मजबूत करती है और स्कूल के प्रति उनके आत्मविश्वास को कम करती है। अपर्याप्त शिक्षा अच्छे रोजगार के अवसरों, अधिकारों के प्रति जागरूकता, असमानता, आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है।

सिफारिशें

- **कानून और नीति में बदलावः** बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति से लोगों में विश्वास पैदा होगा। सरकार द्वारा दलित, मुस्लिम, आदिवासी और लड़कियों के लिए गुणवत्ता युक्त आवासीय स्कूल खोलने की जरूरत है। विशेष रूप से प्रवासी बच्चों जैसे वंचित समूहों के लिए मौसम आधारित छात्रावास जैसे प्रावधान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, गांव और वार्ड स्तर पर स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की पहचान करके उनका अलग से सहयोग किया जा सकता है। रास्ते पर भटकते बच्चों के लिए सबसे पहले उनके भोजन, आवास और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए।
- **वर्तमान कानूनों और नीतियों का उपयुक्त क्रियान्वयनः** एन.सी.एफ. 2005 द्वारा तक विविधता के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन की बात की गई है। लेकिन, यह जरूरी है कि वास्तव में पाठ्यक्रम और पुस्तकों में इन सिद्धांतों को शामिल किया जाए। स्कूल के पाठ्यक्रम में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों के नेतृत्व को शामिल किया जाए। वंचित समुदाय के माता-पिताओं और सदस्यों को स्कूल की गतिविधियों में योगदान बढ़ाने से स्कूल और समुदाय के बीच की दूरी कम होगी। स्कूल प्रबंधन समिति में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। विकलांग बच्चों के लिए केवल रैंप की बजाए अधिक व्यापक अनुकूल माहौल और दृष्टिकोण की जरूरत है।
- **भेदभाव, हिंसा और अन्याय रोकथाम के प्रयासः** स्कूलों में 'शून्य भेदभाव' होना चाहिए और सभी समूहों के बीच सामाजिक संपर्क पैदा होना चाहिए। इस बारे में कानून में बदलाव करके स्कूलों में वंचित समूह के बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए गंभीर सजा का प्रावधान होना चाहिए। स्कूल और अध्यापक दोनों को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वर्तमान में शिक्षकों के प्रशिक्षण के बहुत कम प्रयास किया जाते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण में सामाजिक संपर्क के महत्व और वंचित बच्चों की हालत के बारे में सही समझ बतलाने की जरूरत है। भेदभाव के खिलाफ लोक आंदोलन की भी आवश्यकता है। स्कूल का भेदभाव समाज में परिलक्षित होता है।
- **अलगाव के आँकड़ों के संग्रह और आकलनः** भेदभाव के आंकड़ों का पता बहुत कम मात्रा में लग पाता है। वर्तमान

व्यवस्था - जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की विश्वसनीयता के बारे में कई संदेह व्यक्त किये जा रहे हैं क्योंकि यह केवल शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करती है।

(२) शहरी आवास

आवास सभ्य जीवन की बुनियादी जरूरत है। इसके अलावा, आवास रोजगार सृजन के अवसर पैदा करता है, वित्तीय ऋण लेने के लिए सहायक होता है और स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के लिए प्रेरित करता है। आवास को शाब्दिक रूप में मूलभूत अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन, अक्सर इसे जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाता है।

वंचित समुदाय

कुंडू समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 1.9 करोड़ आवासों की कमी है। इनमें से 95 फीसदी की कमी कम आय वाले समूह (जिनकी मासिक आय 5000 से 10,000 रुपए है) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जिनकी मासिक आय 5000 रुपए से कम है) की है।

इसके अलावा, कुंडू समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 5.3 लाख परिवार बेघर हैं। कई इस आंकड़े को वास्तविकता से कम मानते हैं और सही आंकड़ा करीब 30 लाख मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों (विशेष रूप से महिला प्रधान परिवारों) की इमारतों की अच्छी गुणवत्ता नहीं थी। केवल 22 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के घर ईंट या कंक्रीट से बने हैं। भारत में, 53 फीसदी घरों में शौचालय नहीं हैं, जबकि अनुसूचित जाति में यह आंकड़ा 66 फीसदी है, और

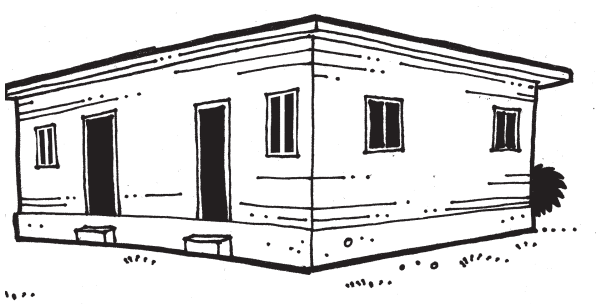

अनुसूचित जनजाति में 77 प्रतिशत है।

कम आय समूह और झुग्गियों में पुरुष किरायेदारों को पसंद किया जाता है। कई बार किसी जाति और क्षेत्र के लोगों को घर किराए पर नहीं मिलता और यही बात आवास ऋण पर भी लागू होती है। आवास की पहुंच के भेदभाव को समझना मुश्किल है। लेकिन विभाजन की एक व्यवस्थित प्रवृत्ति देखी जाती है। समीरा खान के अध्ययन के अनुसार, मुंबई में मुस्लिम समुदाय को एक खास क्षेत्र में मकान नहीं मिलता, लेकिन कोई क्षेत्र उनके लिए सुरक्षित है। इसके अलावा, दलितों, एचआईवी पीड़ितों, हिजड़ों और विकलांगों को मकान लेने में कठिनाई होती है।

अलगाव की प्रक्रिया

- **कानून और नीति का दोषपूर्ण ढांचा:** भारत में आवास शाब्दिक रूप में संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं होने के बावजूद, कभी-कभी अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में उसे शामिल किया जाता है। इसके बावजूद आवास एक मूल अधिकार नहीं होने के कारण कोई खास कानूनी सहायता नहीं मिलती, लेकिन सरकार की नीति और कार्यक्रम के बारे में सवाल किए जा सकते हैं। वर्तमान सरकार की आवास नीतियों में निजीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया है और आवास को एक आर्थिक साधन के रूप में देखा जा रहा है। आवास को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के पहलुओं के रूप में नहीं देखा जा रहा है। शहरी विकास नीतियों के लिए उस भूमि को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है जिसका सामाजिक आवास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक संतुलित क्षेत्रीय विकास करने वाली नीतियां कमजोर या नगण्य हैं। आवास नीतियों ने व्यवस्थित रूप से रोजगार और आवास की कड़ी को तोड़ दिया है। वर्तमान में आवास की जिम्मेदारी पूरी तरह से नियोक्ता की नहीं है। इसके अलावा, आवास नीति एकल स्वामित्व केंद्रित है। इसलिए शयनशाला, समुदाय गृह आदि विकसित नहीं हो पाए।
- **कानून और नीति के कार्यान्वयन की विफलता और संस्थागत पूर्वाग्रहः** शहरी नियोजन की विफलता भारत में नयी नहीं है। आवास का मुद्दा बहुमुखी है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में

नियोजन विफलता के मुख्य कारण थे - (1) कम आय वाले आवास की आवश्यकता का लक्ष्य अपर्याप्त था। (2) ये अपर्याप्त लक्ष्य सरकार द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। (3) बने हुए मकानों में आवश्यक तैयारी नहीं होने की वजह से वे रहने के लिए उपयुक्त नहीं थे। (4) कम आय वाले आवास के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने में विफलता। गरीबों द्वारा अपने तरीके से बनाए गए 'अवैध' आवासों के प्रति एक संस्थागत पूर्वाग्रह है। इस तरह के घरों पर गरीब लोगों का अधिकार नहीं होता। हालांकि, 2009 के अनुमान के अनुसार दिल्ली के केवल 24.7 प्रतिशत आवास ही नियोजित कालोनी में थे। परंतु सरकार द्वारा गरीबों और शक्तिशाली लोगों के अवैध घरों के बीच भेदभाव किया जाता है और गरीबों को लगातार डर सताता रहता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में इस तरह के संस्थागत पूर्वाग्रह का एक और उदाहरण है। निजीकरण, शहरी क्षेत्रों में अभिजात वर्ग की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में ही जा रहा है।

- **अन्याय और भेदभावः** अवैध मकानों से लोगों का निष्कासन शहरी विकास के मॉडल का एक नियमित हिस्सा बन गया है। निष्कासन और पुनर्वास लोगों की कच्चे से पक्के मकान की दिशा में जाने की क्षमता को खत्म कर देता है। पुनर्वास के कारण गरीबों को शहर की सरहद पर रहना पड़ता है, जहां रोजगार के अवसर और अन्य सुविधाएं नहीं होती।
- **अपर्याप्त और अनुचित वित्तीय प्रावधानः** मौजूदा ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना के वित्तीय प्रावधान आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। वर्ष 2007-08 में शहरी क्षेत्र की बी.एस.यू.पी. योजना के 88 प्रतिशत बजट का उपयोग किया गया था, लेकिन 2012-13 में केवल 22 फीसदी किया गया था।

अलगाव के प्रभाव

आवास के अभाव का सीधा असर पानी और साफ-सफाई (गटर) व्यवस्था पर पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अधिसूचित मलिन बस्तियों के 63 प्रतिशत घरों में गटर व्यवस्था नहीं थी, 34 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं था, जबकि 43 प्रतिशत के पास पानी की सुविधा नहीं थी। आवासहीन परिवारों के बच्चे शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। अनाज के उचित रख-रखाव व्यवस्था का अभाव, अशुद्ध पानी और सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आवास की कमी के कारण उनके रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्व-रोजगार के लिए भी आवास की जगह, बाजार और माल-सामान का पास होना जरूरी है।

सिफारिशें

- **कानून और नीति में बदलावः** आवास को मौलिक अधिकार बना कर शुरूआत की जा सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और जानकारी की तरह ही आवास भी सामाजिक सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। भारत में आवास नीति का मॉडल स्वामी केंद्रित है। इसके बजाय, दुनिया भर में जो नीति सफल रही है - यथास्थान उन्नयन - उस दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है। भारत में लगभग 1/3 शहरी लोग किराए के मकान में रहते हैं, और यह तथ्य इस समस्या को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। यथास्थान उन्नयन दृष्टिकोण किरायेदारों को सुरक्षा देता है। लंबी अवधि के पट्टे कम आय वाले परिवारों को सुरक्षा देते हैं।
- **वर्तमान कानूनों और नीतियों का उपयुक्त क्रियान्वयनः** गरीबों द्वारा हाल ही में बनाए घर को एक निवेश मानकर उसे ठीक करने की जरूरत है। आवास का रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के साथ सीधा संबंध होता है।
- **भेदभाव, हिंसा और अन्याय रोकने के प्रयासः** जब गरीब अपना घर बनाता है वह इस तथ्य को साबित करता है कि सरकार द्वारा उन्हें घर प्रदान नहीं किया जाता। इसके बावजूद, इस तरह के प्रयासों को अवैध मानकर उन्हें निष्कासित किया जाता है। लोगों को रहने का और जीवन का अधिकार है, और इसलिए इसे कानूनी मान्यता की आवश्यकता है।
- **अलगाव के आँकड़ों का संग्रह और आकलनः** मलिन बस्तियों के मकानों, अवैध मकानों और अत्यंत खराब मकानों में रहने वाले लोगों की स्थिति की जानकारी बेहद सीमित है। आवास के बारे में जानकारी केवल जनगणना से मिलती है जो हर 10 साल में की जाती है।

(३) श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार

सम्मानजनक रोजगार का मतलब यह है कि पुरुष और महिला द्वारा रचनात्मक कार्य जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता, सुरक्षा और सम्मान बना रहे। श्रम और पूंजी के एक-दूसरे पर निर्भर होने के बावजूद रोजगार के संबंध में उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ माना जाता है। परंपरागत रूप से सत्ता पूंजी के हाथों में होती है और सरकार की सुरक्षा नहीं मिले तो श्रमिकों के अधिकारों का हनन हो जाता है। इस प्रकार, सरकार श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। श्रमिक कोई माल-सामान नहीं है और उसका प्रबंधन केवल बाजार के आधार पर नहीं किया जा सकता। सरकार की श्रमिकों के प्रति तीन मुख्य जिम्मेदारियां हैं (1) रोजगार सृजन (2) रोजगार का सुरक्षा, और (3) जिन लोगों को रोजगार की सुरक्षा नहीं दे सकती उनके लिए सामाजिक सुरक्षा। सरकार द्वारा इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं।

वंचित समुदाय

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में लगभग 40 करोड़ लोग अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में ही पैदा हुआ है। औपचारिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को 'अनौपचारिक रोजगार' ही दिया जाता है। इसमें काम की कोई सुरक्षा या सामाजकि सुरक्षा नहीं होती है। समाज में ऐसा समूह है जिसे अपनी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर इस तरह के अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल होना पड़ता है। 2009-10 में 59 प्रतिशत दलित कृषि या गैर-कृषि मजदूर के रूप में काम करते थे, जबकि कुल जनसंख्या में यह प्रतिशत 40.4 प्रतिशत है। दिहाड़ी मजदूरों में जनजातियों का भी एक बड़ा हिस्सा है। 2009-10 आंकड़ों के अनुसार, केवल 30.4 प्रतिशत मुसलमान नियमित आय या वेतन वाले काम में लगे हुए थे, जबकि पूरी आबादी में उनका प्रतिशत 39.7 था। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 26.3 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति आर्थिक कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या केवल 5.6 फीसदी थी। एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की श्रम-भागीदारी में भारत का नंबर 133 देशों में पीछे से 11वां है।

अलगाव की प्रक्रिया

- **कानून और नीति का दोषपूर्ण ढांचा:** भारत में 1.5 करोड़ लोग हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा, कृषि जैसे श्रम आधारित क्षेत्र की हालत बदतर हो रही है। इसके बावजूद सरकार ने कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए हैं। 2004-05 में सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का भाग 58.3 फीसदी था, लेकिन रोजगार में हिस्सा केवल 29 फीसदी था। इसी प्रकार, विनिर्माण क्षेत्र का भाग सकल घरेलू उत्पाद में 17 फीसदी है, लेकिन केवल 12 प्रतिशत रोजगार देता है। इस समय रोजगार कार्यालय, एजेंसी या दलाल पर श्रमिक निर्भर करता है, जिसमें इनके नियमों का अनुपालन नहीं होता है। इस कारण से श्रम बाजार में, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में सुरक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं होती है।

  उदाहरण के लिए, घर पर काम करने वाले श्रमिक। सरकार की परिभाषा के अनुसार घर पर काम करने वालों को श्रमिक नहीं माना जा सकता और इस कारण से उनके काम की स्थितियां बहुत खराब हैं। अनौपचारिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 ऐसे श्रमिकों के लिए ही बनाया गया है। इससे पहले अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण देने वाला कोई कानून नहीं था। परंतु, यह कानून भी सिर्फ कल्याणकारी योजना से संबंधित बन गया है और अधिकार आधारित दृष्टिकोण गायब हो गया है।

- **कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन में विफलता और संस्थागत पूर्वाग्रहः** श्रम कानूनों से संबंधित उपेक्षा आम बात है। वैश्वीकरण के युग में यह मान्यता बन रही है कि श्रम संबंधी कानून और जन कल्याण आर्थिक विकास को रोकता है। मालिकों और निवेशकों के पक्ष में होकर सरकार द्वारा सस्ते श्रम के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 2000 के बाद से कोर्ट के मजदूर विरोधी फैसलों से मजदूरों की स्थिति और भी बदतर हो रही है। ऐसे वातावरण में सुडो (Psuedo Laws) कानून मौजूद हैं। कई श्रमिकों का कहना है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, परंतु उसे साबित करना मुश्किल है और सरकार की ओर से इसके कार्यान्वयन के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। श्रमिक जब न्याय के सत्ता के पास जाने की कोशिश करता है तब भी निराकरण की संभावना धुंधली होती है।
- **अन्याय और भेदभावः** श्रमिकों के लिए पर्याप्त कानून नहीं हैं, और जो हैं उनका ठीक से अमल नहीं किया जाता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां श्रम संबंधी अधिकारों के अवसर बहुत कम होते हैं। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है। इन बदलावों में श्रम कानून प्रवर्तन से संबंधित आपत्तियों के आवेदनों को कम करना, ट्रेड यूनियन नहीं होना और श्रम निरीक्षक द्वारा दौरा नहीं करना शामिल है। एसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती और ये विश्वसनीय भी नहीं होती। भारत में 80 प्रतिशत श्रमिक ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं। सरकार भी इस प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। कई बार सरकार ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण नहीं करती। कभी-कभी सरकार श्रमिकों के हितों के विपरीत विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के खिलाफ काम करती है। सड़क, लारी-गल्ला, रिक्शेवालों आदि के लिए रोजगार के स्थान सीमित होते जा रहे हैं। उनके लिए सरकार 'विरोधी' नहीं तो कम से कम 'रुकावट' तो है ही।
- **अपर्याप्त वित्तीय प्रावधानः** 2012-13 के आँकड़ों के अनुसार, श्रमिकों के लिए कुल बजट का केवल 0.26 फीसदी शामिल किया गया था। श्रम से संबंधित कानून प्रवर्तन के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया था और प्रावधान किए बजट का पूरा उपयोग नहीं किया गया था।

अलगाव के प्रभाव

सही स्व-रोजगार नहीं मिल पाने से व्यक्ति की सम्मानजनक जीवन जीने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा मिली होती है, लेकिन असुरक्षित रोजगार वाले लोगों को तकलीफ होती है। पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के बीच का अंतर को धीरे-धीरे कम हो रहा है। औपचारिक क्षेत्र में भी अनौपचारिक रोजगार विकसित होने शुरू हो गये हैं। इस वंचित समुदायों के लोग कई बार किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इस शोषणकारी स्थिति में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाल मजदूरी भी इसी का परिणाम है।

सिफारिशें

- **कानून और नीति में बदलावः** एक ऐसे नए कानून की जरूरत है जिसमें सभी श्रमिकों (अनुबंध आधारित, दिहाड़ी मज़दूर, आदि) और सभी कार्यस्थानों (घर, खेत) को शामिल किया जाए। मौजूदा श्रमिकों को बाजार की वजह से रखा और निकाला जा सकता है, लेकिन एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की जरूरत है। कानून सरल और सस्ता होना चाहिए, जिसमें श्रम की दरों, काम के घंटे और कार्यस्थल स्थितियों का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। अनुबंध करने वाली एजेंसियों के पंजीकरण और पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक वर्तमान सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में शामिल नहीं हैं। इन सबका समावेश सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा में हो सकता है। आरक्षण आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार सुरक्षा देता है, लेकिन इससे सामाजिक उत्थान नहीं होता। कई लोग निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
- **वर्तमान कानूनों और नीतियों का उचित अमलः** मजदूरी की दरें सभी हितधारकों के साथ संवाद करके निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा बंधुआ श्रम, बाल श्रम और सिर पर मैला ढोने जैसी शोषक गतिविधियां चल रही हैं, जिन्हें तत्काल रोकने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र छोड़कर आने वाले लोगों को क्षमता वर्धन और रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण में प्रदान किया जा सकता है। उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार कार्यालय की

भी व्यवस्था की जा सकती है।

- **भेदभाव, हिंसा और अन्याय रोकथाम के प्रयास:** अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यस्थल पर कई बार हिंसा और अन्याय होता है, जिसमें शारीरिक हिंसा, अपमान, शोषण और मानसिक यातना शामिल होती है। इसलिए इन स्थानों पर कानून का कड़ाई से कार्यान्वयन की सख्त जरूरत है। यह शोषण इसलिए भी बढ़ जाता है कि बहुत कम श्रमिक यूनियनों के साथ संबद्ध होते हैं। सरकार को सही यूनियनों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
- **अलगाव के आँकड़ों का संग्रह और आकलन:** श्रम बाजार में विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में काम के प्रकार और शर्तों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इसमें सरकार भी अनिच्छुक प्रतीत होती है। कार्यों की सीमित परिभाषा भी कई लोगों को श्रमिक की श्रेणी में आने से रोकती है।

(४) आतंकवाद विरोधी कानूनों में कानूनी न्याय

एक निष्पक्ष और उचित न्यायिक प्रक्रियाओं तक पहुंच एक आवश्यक सेवा है। मूलभूत न्याय का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 22 के मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और निरोध में निहित है। भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता शामिल है। इस रिपोर्ट में बहुमत वाली जनता की भलाई की जो अवधारणा है उसे भी इनकार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों के सिद्धांतों में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। संदिग्ध आतंकवादी कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है, उसके लिए उस पर अत्याचार नहीं किया जा सकता।

वंचित समुदाय

अलगाव की तुलना में विधि और न्याय में सबसे स्पष्ट सूचक वंचित समुदायों (दलित, आदिवासी और मुस्लिम) का जेल में काफी प्रतिनिधित्व है। खासतौर पर, ऐसे मामलों में जिनमें अपराध साबित करना बाकी हो। भारत में आतंकवाद कानून के तहत गिरफ्तार लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। फिर भी, कई अनधिकृत स्रोतों से आतंकवाद विरोधी कानूनों का लक्ष्य मुस्लिम, आदिवासी, आंदोलनकारी और राजनीतिक विरोधियों पर गलत तरीके से उपयोग करना रहा है। 1985 से 1994 के दौरान (जब टाडा लागू किया गया था) कुल 67,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से केवल 8000 पर मुकदमा किया गया और 425 लोगों को सजा सुनाई थी। टाडा के दुरुपयोग के कई उदाहरण हैं। गुजरात में 1993 में टाडा के तहत गिरफ्तार 19,263 लोगों में से बांध विरोधी प्रदर्शनकारी, ट्रेड यूनियन या धार्मिक अल्पसंख्यक व्यक्ति थे। 2002 से लागू पोटा के तहत 2002 से फ़रवरी 2003 के दौरान 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से अधिकांश आदिवासी, दलित और वंचित समुदायों के लोग थे। इस प्रकार के भेदभावपूर्ण कानून के उपयोग के संबंध में कॉर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन, जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन जैसे संगठनों ने दस्तावेजीकरण किया है।

अलगाव की प्रतिक्रिया

- **कानून और नीति का दोषपूर्ण ढांचा:** असामान्य आतंकवाद विरोधी कानून मौजूदा कानूनी प्रणाली के तहत प्राप्त सुरक्षा और प्रक्रिया में से छूट देता है। इससे संवैधानिक तरीकों से विरोध करने वाले विशेष समुदाय के लोग पुलिस और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की शक्तियों के सामने असहाय हो जाते हैं। असामान्य प्रावधान मानव अधिकारों की उपेक्षा करते हैं और आपराधिक रूप से मानव अधिकारों के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी अपराध के तहत गिरफ्तार आरोपी को अधिक से अधिक 90 दिनों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, यों लेकिन आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उसे कई बार एक वर्ष तक हिरासत में रखा जाता है। एक अन्य प्रावधान के अनुसार

पुलिस के सामने दिए गए कुछ बयानों को अदालत द्वारा मान्य रखा जाता है (जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के खिलाफ है) और अत्याचार किया जाता है। इसके अलावा, विशेष अदालत इन-कैमरा (अकेले में) सुनवाई, छिपे गवाहों का उपयोग, जमानत के लिए सख्त प्रावधान आदि, खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपियों की होती है। इसके अलावा, इस तरह के एक कानून आतंकवाद की परिभाषा भी अस्पष्ट करते हैं। इसमें सरकार को अपने स्वयं के विवेक का उपयोग करने का अवसर दिया जाता है। जैसे, यूएपीए (अवैध कृत्य निवारण अधिनियम, 1967) केन्द्र सरकार को यह अवसर प्रदान करता है कि वह अपने विवेक के अनुसार अवैध कृत्यों को तय करे।

- **कानून और नीति के कार्यान्वयन में विफलता और संस्थागत पूर्वाग्रहः** इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएपीए या अन्य आतंकवाद विरोधी कानून का सरकार को आतंकवाद विरोधी काम करने में मदद करने के बजाय पुलिस और जांच एजेंसी को निर्दोष व्यक्तियों और संस्थाओं को रोकने, परेशान और दंडित करने के लिए किया जाता है। कानून का अनुचित प्रयोग, गिरफ्तारी व्यक्ति को प्रदान सुरक्षा प्रावधान की उपेक्षा, सबूत के मानक को हलका करना, जबरदस्ती अपराध खड़े द्वारा स्वीकार करवाना तथा झूठी गवाही के लिए किया जाता है। आंदोलकारियों, राजनीतिक विरोधियों, मुस्लिम, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ पूर्वाग्रह रखने के तीन मुख्य कारक हैं - (1) आतंकवाद विरोधी कानून की सरकार के लिए संवैधानिक है या असंवैधानिक विरोध को रोकने का साधन बन जाता है। (2) पुलिस और नौकरशाही में नस्लवादी मानसिकता, और (3) मीडिया में सनसनीखेज कहानियां बनाने के उद्देश्य से कई बार जांच किए बिना प्रचार किया जाता है, और लोगों को सच्चाई का पता नहीं लग पाता।
- **अन्याय और भेदभावः** आतंकवाद विरोधी क़ानून के तहत संदिग्ध लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा अन्याय और भेदभाव किया जाता है। जयपुर बम धमाकों के आरोप में सिम्मी के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी गिरफ्तारी की तारीख एक सप्ताह के बाद की दिखायी गयी थी और उस अवधि के दौरान उन पर अत्याचार किया गया। छत्तीसगढ़ में सोनी सूरी नामक आंदोलनकारी को इस हद तक यातना दी गई की है, उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था।
- **अपर्याप्त वित्तीय प्रावधानः** इसके तहत बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2010-11 में कानून के शासन के लिए सरकारी खर्च के केवल 0.38 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। उसमें भी प्रशिक्षण और कानूनी सहायता जैसे मुद्दों पर अत्यंत कम खर्च किया गया था ।

अलगाव के प्रभाव

आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल विशिष्ट समूहों को लक्ष्य बनाने के लिए अनुचित और असमान रूप से किया जाता है। इसके व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गंभीर परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और उस पर अत्याचार किया जाता है तो उसका प्रभाव निर्दोष रिहाई के बाद भी रहता है। मानसिक रूप से टूटना और सामाजिक रूप से कलंकित होना सामान्य बात है। उस पर आतंकवादी होने का दाग बरी होने पर भी लगा रहता है। जब आतंकवादी हमला होता है तब उसे पुलिस और आम जनता द्वारा संदेह से देखा जाता है। उसे रोजगार प्राप्त करने और बनाए रखने में कठिनाई होती है। वे अक्सर बेसहारा हो जाते हैं और गरीबी में जीवन गुजारते हैं। जब भी सामाजिक स्तर पर कानून का गलत इस्तेमाल होता है तब लोगों में कानून के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में सालों लग जाते हैं और तब तक वह जेल में रहता है। किसी समुदाय को निशाना बनाने से समाज विभाजित होता है। यूएपीए जैसे कानून का दुरुपयोग आदिवासी समाज को दूर करता है। इस प्रकार, आतंकवाद विरोधी कानूनों का अनुचित प्रयोग भारत की धर्मनिरपेक्षता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

सिफारिशें

- **कानून और नीति में बदलावः** यूएपीए और राज्य सरकार के कुछ अन्य आतंकवाद विरोधी कानूनों का गलत उपयोग भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि, यह साबित नहीं हुआ कि ऐसे कानून आतंकवाद को रोकने या टालने के लिए आवश्यक हैं। इस तरह के कानूनों को हटा दिया

जाना चाहिए और अगर हटाना मुश्किल हो, तो इसमें बदलाव करने की जरूरत है, ताकि इसका गलत उपयोग नहीं किया जा सके। आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों की मौजूदा परिभाषा, संदिग्धों की गिरफ्तारी, सबूत का मानक और जमानत की प्रक्रिया जैसे प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। यह भी आवश्यक है कि निर्दोष साबित हुए लोगों की क्षतिपूर्ति की जाए और पुनर्वास के लिए सहायता दी जाए। इसके लिए केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, परंतु रोजगार, मानसिक और शारीरिक पुनर्वास, अधिकृत रूप से माफी और अगली बार ऐसा नहीं होने की गारंटी देना भी शामिल है।

- **वर्तमान कानूनों और नीतियों का उचित अमलः** आतंकवाद संबंधी एकतरफा मान्यता कई बार संदिग्ध को न्याय प्राप्त करने में मुसीबत पैदा करती है। आतंकवाद के संदिग्धों के मामले में कई वकील केस लड़ने से डरते हैं, क्योंकि इससे उन पर आतंकवाद के सहयोगी और राष्ट्र विरोधी लेबल लग जाता है, और कई बार उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ता है। न्यायिक व्यवस्था को ऐसे वकीलों की यूनियन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जिसने आतंकवाद के संदेह वाले आदमी का केस नहीं लड़ने का प्रस्ताव पारित किया हो। इसके अलावा, आतंकवाद के संदिग्धों को बचाने के लिए वकीलों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता जिससे गलत सजा हो जाती है। ऐसे कानूनों पर पुनर्विचार के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। टाडा और पोटा को हटा दिया गया है, लेकिन यूएपीए में कई प्रावधानों को जोड़ दिया गया है, जिससे टाडा और पोटा को हटाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आतंकवाद विरोधी कानून के लिए केवल केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती है और जिसमें राजनीतिक कारणों से निर्णय लेने की संभावनाएं रहती हैं।
- **भेदभाव, हिंसा और अन्याय की रोकथाम के प्रयासः** आतंकवाद विरोधी कानून द्वारा एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की हकीकत एक गहरे संस्थागत पूर्वाग्रह का सबूत है। सरकार ने इस तरह के मामलों के निपटान के लिए त्वरित कोर्ट का सुझाव दिया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। विशेष कोर्ट बनाना हमेशा एक राजनीतिक फैसला रहा है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन पूर्वाग्रह और भेदभाव को नहीं रोका जा सकता। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत संदिग्ध व्यक्ति के लिए इससे जरूरी यह है कि सरकार द्वारा एक न्यायिक जांच और सख्त निगरानी का प्रबंध किया जाए। यदि साक्ष्य को गलत तरीके से तैयार किया गया हो या पुलिस यातना का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया हो तो पुलिस कर्मचारी पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। पुलिस को मानव अधिकार के सिद्धांतों, धार्मिक सहिष्णुता, भीड़ नियंत्रण के आसान तरीकों आदि के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, जन जागरूकता अभियान और जिम्मेदार मीडिया कवरेज की जरूरत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इससे सरकार के एक तरफा प्रचार का जवाब दिया जा सकता है।
- **अलगाव के आँकड़ों का संग्रह और आकलनः** आतंकवाद विरोधी कानून के दुरुपयोग के अधिकृत आंकड़े नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यूएपीए के तहत राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में केंद्र सरकार को कोई जानकारी नहीं होती है। जेल में कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उन्हें दी गई कानूनी मदद और उनके दोषसिद्ध होने की दर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती।

उपसंहार

गरीबी, शिक्षा, आवास, उचित रोजगार और पक्षपात के बिना न्याय के बीच सीधा संबंध है। गरीबी के कारणों में इन सामान्य सेवाओं को प्राप्त करने में कठिनाई मुख्य और वह गरीबी का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। भारत में गरीबी पिछले कुछ वर्षों से घट रही है (स्रोतः राजीव मल्होत्रा, 2014, भारत पब्लिक पॉलिसी रिपोर्ट 2014, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)। लेकिन यह विशेष क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा) और विशेष सामाजिक समूह (दलित, मुस्लिम, भूमिहीन मजदूर, महिलाओं, आदि) से बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति बुनियादी सेवाओं में होने वाले भेदभाव का संकेत है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है।

महिलाओं पर यौन हिंसा से संबंधित आपराधिक कानून

महिलाओं के लंबे संघर्ष और कानून बनाने वालों के साथ कई बार चर्चा करने के बाद बलात्कार कानून में कुछ सुधार किए गए थे, जिन्हें आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983 [Criminal Law (Amendment) Act 1983] कहा जाता है। इस संशोधन के तहत बलात्कार कानून में किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधार **सुश्री तृप्ति शाह** द्वारा यहा दर्शाए गए हैं।

महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर नारी आंदोलनों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपराधिक कानूनों में समय-समय पर बदलाव किया गया है। 80 के दशक में मथुरा बलात्कार के नाम से प्रसिद्ध मामले के संदर्भ में देश भर में महिला आंदोलन हुए थे। मथुरा में नाबालिग लड़की के साथ पुलिस थाने में पुलिस अधिकारियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। यह मामला निचली अदालत से उच्च न्यायालय, और फिर सुप्रीम कोर्ट गया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के फैसले को उलटते हुए कहा कि बलात्कार नहीं किया गया था, परंतु लड़की ने संबंध बनाने की सहमति दी होगी, क्योंकि लड़की का पहले से ही किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध था और वह कुंवारी नहीं थी। इसके अलावा, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे इसलिए यह नहीं कह सकते कि उसने विरोध किया होगा, सुप्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण के मद्देनजर देश भर की महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। यह तो बाड़ द्वारा ही खेत को खाने जैसा हुआ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के इस तरह के फैसले से लगे सदमे के कारण दिल्ली लॉ कॉलेज के तीन प्रोफेसरों ने इसका विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय को पत्र लिखा और इसके बाद अलग-अलग शहरों में इस फैसले के विरोध में केस को फिर से चलाने की मांग के साथ महिलाएं सड़क पर उतरी। उनका प्रश्न था कि पुलिस चौकी में हथियारबंद पुलिस के खिलाफ विरोध करने की ताकत कम उम्र की लड़की कैसे दिखा सकती थी और उसका अपनी पसंद के आदमी के साथ रिश्ता हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसने पुलिस को सहमति दी होगी।

महिलाओं के लंबे संघर्ष और कानून बनाने वालों के साथ कई बार चर्चा करने के बाद बलात्कार कानून में कुछ सुधार किए गए थे, जिन्हें आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जाता है। इस संशोधन के तहत बलात्कार कानून में निम्न नए मुद्दों को जोड़ा गया:

(1) हिरासत में बलात्कार को अधिक गंभीर अपराध माना गया। इसका मतलब यह है, कि पुलिस थानों, जेलों, रिमांड होम या किसी अन्य जगह जहां स्त्री हिरासत (संरक्षण) में हो उस अधिकारी द्वारा किए गए बलात्कार को और अधिक गंभीर अपराध माना गया। इस मामले में यह कहा जाए कि संबंध हुआ है और महिला का कहना है कि उसने सहमति नहीं दी तो उस सहमति को साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होगी।

(2) आपराधिक कानून में धारा-228 (ए) को जोड़ा गया जिसके अनुसार पीड़ित औरत का नाम या पहचान सार्वजनिक करने वाली किसी भी जानकारी को देना या मुद्रित करना अपराध माना जाएगा।

(3) धारा-327 (2) के तहत कहा गया कि बलात्कार के मामले में अदालत की प्रक्रिया बंद कमरे में की जाएगी।

हालांकि, इस कानून के संशोधन में महिला संगठनों की कई मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। नतीजतन, समय-समय पर महिला संगठनों द्वारा बलात्कार और सभी प्रकार की यौन हिंसा से संबंधित कानूनों में संशोधन करने की मांग की जाती रही।

दिल्ली बलात्कार मामला

दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को एक महिला के साथ हुए बलात्कार

के बाद एक बार फिर लोगों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। पुलिस और सरकार के रवैये, कानून की सीमाओं, कानूनी प्रक्रिया की कमियों, आदि के बारे में बड़े पैमाने पर जनता ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया। सरकार को जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में बलात्कार कानून में संशोधन करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सालों से इस मुद्दे पर काम कर रहे महिला संगठनों ने दिन और रात एक करके अपने सुझाव भेजे। समिति ने 29 दिन के कम समय में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी जिसके आधार पर सरकार को आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए अध्यादेश द्वारा जारी करना पड़ा और जिसके बाद 2 अप्रैल, 2013 को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया गया था। हालांकि, महिला संगठनों की सभी मांगों और न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सभी सिफारिशों को इस समय कानून में प्रतिबिंबित नहीं किया गया। हालांकि, इस कानून में ऐसे संशोधन किए गए जो काफी महत्वपूर्ण और लंबी अवधि तक प्रभाव डालने वाले थे, साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किए गए।

इस कानून में किए गए कुछ प्रमुख संशोधन निम्नानुसार हैं:

(1) यौन हिंसा के अपराधों की शिकायत दर्ज नहीं करने वाले पुलिस कर्मचारी को धारा 166-ए के तहत सजा।

यदि कोई पुलिस कर्मचारी महिलाओं पर यौन हिंसा से संबंधित अपराधों जैसे एसिड हमलों (धारा-326 (ए) और (बी)), यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों (धारा-354 (ए) (बी)), लोगों की खरीद-फरोख्त से संबंधित अपराधों (धारा -370), बलात्कार से संबंधित अपराधों (धारा-376 (ए से ई) और उत्पीड़न (धारा-509) की शिकायत दर्ज करने में विफल रहता है तो वह धारा 166 के तहत कम से कम 6 महीने के सश्रम कारावास जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और दंड का पात्र रहेगा।

(2) अस्पताल द्वारा पीड़ित महिला का इलाज नहीं करने पर धारा-166 (बी)

किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पताल का प्रभारी पीड़ित महिला का इलाज करने से मना करे तो प्रभारी को धारा 166 (बी) के तहत एक साल की सजा और दंड हो सकता है ।

(3) एसिड फेंकना

एसिड फेंककर महिला को नुकसान पहुंचाने या ऐसा करने का प्रयत्न करने के लिए धारा -126 (ए) और (बी) को जोड़ा गया है।

एसिड से महिला से घायल हुई हो तो धारा-126 (ए) के अनुसार कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह जुर्माने की राशि महिला के चिकित्सा उपचार के खर्च को पूरा कर सके उतनी होगी।

एसिड फेंकने से महिला के घायल नहीं होने पर भी, घायल करने के इरादे से फेंकने या देने की कोशिश करे तो उसे भी धारा-126 (बी) के मुताबिक कम से कम 5 वर्षों की सजा

होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और दंड भी दिया जाएगा।

(4) छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न

छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न से संबंधित धारा-354 में संशोधन करके धारा 354 ए से सी नई धाराओं को जोड़ा गया है। इस संशोधन को, महिलाओं के यौन हिंसा के वास्तविक अनुभवों को ध्यान में रखकर किया गया है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है।

धारा-354 (ए) में यौन उत्पीड़न की परिभाषा और उनके अपराधों को दर्शाया गया है। इसके अनुसार कोई आदमी नीचे दर्शाये कृत्य में से कोई भी कृत्य करे तो उसे यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा।

(1) महिला को अस्वीकार्य शारीरिक संपर्क और स्पष्ट एवं अवांछित यौन मांग करना, अथवा

(2) यौन संबंध की मांग या अनुरोध करना।

(3) महिला की इच्छा के खिलाफ उसे नग्न-कामचेष्टा (अश्लील चित्र, आदि) दर्शाना।

(4) यौन संदर्भ वाली टिप्पणी करना ।

उपर्युक्त कृत्य (1) (2) (3) के लिए 3 साल तक की सजा और दंड, वहीं कृत्य (4) के लिए 1 साल की सजा और दंड दिया जाएगा।

354 (बी) - महिला के कपड़े उतारने के हेतु से हमला या आपराधिक बल के प्रयोग (नंगा करना) को इसमें शामिल किया गया है। कई बार महिला पर बलात्कार नहीं किया जाता लेकिन उसे या उसके परिवार के सदस्यों को नीचा दिखाने के उसे सार्वजनिक रूप से नग्न हालत में रखा जाता है। उस वक्त यह धारा लागू होती है।

354 (सी) - यौन क्रिया में रत किसी महिला को देखना या फ़ोटो खींचना (छिप कर देखना), कपड़े बदलती, स्नान करती, या ऐसी कोई निजी क्रिया जिसे महिलाएं अक्सर अकेले में करती हैं उसे देखने या उसकी फोटो खींचने को इस धारा में शामिल किया गया है।

354 (डी) - पीछा करना

कई बार परेशान करने वाला व्यक्ति शारीरिक स्पर्श या हमला नहीं करता है, परंतु महिला की इच्छा के खिलाफ उसका पीछा करके उसे डराता है। इस प्रकार के व्यवहार के खिलाफ इस धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

(5) बलात्कार की पितृसत्तात्मक परिभाषा में बदलाव

यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। इस संशोधन से पहले के कानून के अनुसार बलात्कार तभी माना जाता था जब महिला की योनि में पुरुष का लिंग प्रवेश करे। परंतु, पुरुष के लिंग को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग को, लकड़ी आदि को महिला की योनि मार्ग या किसी अन्य हिस्से में प्रवेश कराना बलात्कार नहीं माना जाता था। हालांकि, औरत के लिए यह बहुत अधिक दर्दनाक होता है और कभी-कभी घातक भी होता है। जैसे, दिल्ली बलात्कार की शिकार लड़की की मृत्यु कानूनी परिभाषा वाले बलात्कार यानि पुरुष लिंग के प्रवेश से नहीं हुई बल्कि बलात्कारियों द्वारा उसकी योनि में लोहे की छड़ डालने से हुई।

बलात्कार की यह परिभाषा पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित थी, क्योंकि बलात्कार के गुनाह को महिला अपने खुद के शरीर पर अपने अधिकारों का उल्लंघन के रूप में नहीं बल्कि औरत की पवित्रता पर हमले के रूप में देखती थी। महिला-संगठनों ने लगातार और बार-बार यह मांग की कि बलात्कार पवित्रता पर हमला नहीं बल्कि महिला के शरीर की अखंडता और अधिकार पर हमला है। उसे इस संशोधन में पहली बार धारा -375 (ए) (बी) (सी) (डी) द्वारा स्वीकार किया गया है।

धारा-375 (ए) के अनुसार, कोई पुरुष औरत की योनि मार्ग में ही नहीं, लेकिन मूत्रमार्ग, गुदा या मुंह में किसी भी हद तक लिंग को प्रवेश कराए अथवा दूसरे व्यक्ति द्वारा उस स्त्री से कराए तो भी उसे बलात्कार माना गया है।

धारा-375 (बी) के अनुसार, इसमें लिंग के अलावा शरीर के अन्य किसी भाग या अन्य किसी भी वस्तु (जैसे लकड़ी,

सरिया, पत्थर, आदि) को किसी भी हद तक महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डलवाने को शामिल किया गया है।

धारा-375 (सी) के अनुसार, इसमें महिला के शरीर के किसी भी भाग को योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने हाथों से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रवेश कराना शामिल किया गया है।

धारा-375 (डी) के अनुसार, इसमें मुंह से महिला के शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश करना या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराना शामिल किया गया है।

(6) बलात्कार किन परिस्थितियों में माना जाएगा?

पहला: उसकी इच्छा के खिलाफ

दूसरा: उसकी सहमति के बिना

तीसरा: उसे या उसके किसी अन्य प्रिय व्यक्ति को मौत या खतरे का डर दिखाकर उसकी सहमति प्राप्त की गई हो, तो उस सहमति से।

चौथा: जब उस पुरुष को पता हो कि वह उस औरत का पति नहीं है और औरत जिसके साथ कानूनी रूप से शादी की हो, अथवा शादी होना मानती हो वह अन्य पुरुष है यह मानकर औरत ने सहमति दी हो, तब उस सहमति से।

पांचवां: मस्तिष्क की अस्थिरता या नशे की वजह से या वह व्यक्ति खुद या किसी अन्य के माध्यम से नशीले या जहरीले पदार्थ देने के कारण किसी अन्य व्यक्ति जिसके लिए वह सहमति दे, उसकी प्रकृति और परिणामों को समझने लायक न हो, तब दूसरे व्यक्ति की सहमति से।

छठा: सहमति या सहमति के बिना जब उसकी उम्र अठारह साल से कम हो ।

सातवां: जब वह बातचीत से सहमति देने में असमर्थ हो। (उदाहरण के लिए बोल या सुन नहीं सकते)

(7) धारा 376 - बलात्कार के लिए सजा

(1) बलात्कार के सामान्य मामले में कम से कम सात साल के सश्रम कारावास की सजा जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और दंड भी दिया जाएगा।

धारा 376 (2) में अधिक गंभीर प्रकार के बलात्कार के अपराध को शामिल किया गया है और निम्नलिखित 1 से 14 तक की परिस्थितियों में बलात्कार किया जाए तो उसे कम से कम 10 साल के सश्रम कारावास की सजा जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, आजीवन कारावास का मतलब व्यक्ति के शेष बचे प्राकृतिक जीवन से है, और इसके साथ दंड भी दिया जाएगा:

1. जो पुलिस अधिकारी होने के बावजूद, अपने स्वयं के पुलिस स्टेशन के भीतर, या किसी भी पुलिस स्टेशन के भीतर, या अपने पास अथवा अपने नीचे कार्यरत कर्मचारी की हिरासत में मौजूद महिला से बलात्कार करे।
2. कोई लोक सेवक होने के बावजूद, अपने पास अथवा अपने नीचे कार्यरत कर्मचारी की हिरासत में मौजूद महिला से बलात्कार करे।
3. सशस्त्र बलों के सदस्य जिन्हें केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जिस क्षेत्र में ड्यूटी पर लगाया गया हो वहां की महिला से बलात्कार करे।
4. कोई व्यक्ति जेल में, रिमांड होम या तत्कालीन किसी भी कानून या उसके तहत प्रदान की हिरासत की अन्य जगह या महिलाओं या बच्चों के किसी भी संगठन या संस्था का व्यवस्थापक अथवा किसी अंतःवासी महिला का बलात्कार करे।
5. कोई अस्पताल का व्यवस्थापक या स्टाफ हो और वह अस्पताल में औरत के साथ बलात्कार करे।
6. महिला के रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक ऐसी जगह में हो जहां किसी महिला का विश्वास या अधिकार रखते हों, उसके साथ बलात्कार करे।
7. धार्मिक या सांप्रदायिक हिंसा के समय औरत पर बलात्कार करे।
8. महिला के गर्भवती होने का पता होने पर भी उसके साथ बलात्कार करे।

9. महिला के सोलह वर्ष से कम होने पर भी उसके साथ बलात्कार करे।
10. सहमति देने में असमर्थ औरत के साथ बलात्कार करे ।
11. किसी महिला पर नियंत्रण या वर्चस्व रखता हो उस औरत के साथ बलात्कार करे ।
12. महिला की मानसिक या शारीरिक विकलांगता का फायदा उठाकर उस औरत के साथ बलात्कार करे।
13. बलात्कार करते समय गंभीर शारीरिक चोट या अंग-विच्छेद या विकृत या स्त्री के जीवन को खतरे में डाले या
14. एक बार से अधिक या बार-बार महिला के साथ बलात्कार करे।

376 (ए) बलात्कार के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाए या निर्जीव (कोमा) हालत हो जाए उसकी सजा

कोई भी धारा-376 (1) या उपधारा (2) के तहत दंड देने वाला अपराध किया हो और इस बलात्कार के दौरान दौरान ऐसी चोट पहुंचाए कि जिससे महिला की मौत हो जाए या औरत को निर्जीव (कोमा) हालत में ला दे उसे कम से कम 20 साल की सश्रम कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, यहाँ आजीवन कारावास का मतलब व्यक्ति के शेष बचे प्राकृतिक जीवन तक के कारावास या मौत होने तक है।

376 (बी) अलग रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग

कोई पुरुष अलगाव के फरमान के तहत या अन्यथा अपने से अलग रहने वाली अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करे तो उसे कम से कम दो साल की किसी भी प्रकार की कैद की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और दंड भी दिया जाएगा।

376 (सी) सत्तासीन व्यक्ति द्वारा संभोग

(ए) अधिकृत या विश्वास आधारित रिश्ते की स्थिति में हो या

(ख) सरकारी नौकर हो या

(सी) कोई जेल, रिमांड होम या जाप्ता के लिए कोई स्थान, या जिसे किसी भी कानून के तहत स्थापित किया गया है, या महिलाओं और बच्चों की संस्था का पर्यवेक्षक या प्रबंधक हो, या

(डी) अस्पताल का व्यवस्थापक या अस्पताल के स्टाफ हों, ऐसी स्थिति (पद) या विश्वास पर आधारित संबंध वाला व्यक्ति अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके उसकी हिरासत या उसकी देखभाल/प्रभारी या परिसर में रहने वाली किसी भी औरत को बहला या फुसलाकर उसके साथ संभोग करे तो उसे सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम से कम 5 साल तक होगा जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और दंड भी दिया जाएगा।

376 (डी) सामूहिक बलात्कार

एक से अधिक व्यक्ति एक साथ समूह में महिला के साथ बलात्कार करें या उनके समान इरादे के रूप में किया गया हो तो इनमें से हरेक व्यक्ति को बलात्कार के लिए समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा जैसे कि उसने अकेले किया हो, और उसे कम से कम 20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास यानि व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक बढ़ाया जा सकेगा और दंड भी दिया जाएगा।

376 (ई) आदतन अपराधों के लिए दंड

यदि कोई पहले धारा-376 या 376 (ए) या धारा-डी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो और बाद में दर्शाई किसी धारा के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो उसे आजीवन कारावास की सजा, जिसका मतलब उस व्यक्ति की शेष प्राकृतिक जीवन से है या मौत की सजा दी जाएगी।

(8) छेड़छाड़ की धारा-509 में संशोधन

धारा 509 - शब्द, संकेत, आदि द्वारा मर्यादा भंग

दंड संहिता की धारा-509 में 'साधारण कारावास का दंड जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना अथवा दोनों',

शेष पृष्ठ 30 पर

सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के तहत स्वेच्छा से सूचना देना (पहल करना)

१. स्वेच्छा से सूचना देना (पहल करना) क्या है?

स्वेच्छा से सूचना देना (पहल करना) का आशय किसी व्यक्ति अथवा संस्था से संबंधित सूचना बिना किसी के मांगे प्रदान करना है।

२. सूचना का अधिकार अधिनियम

सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों (जिनमें ग्राम पंचायतें शामिल हैं) से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 41(ख) के अनुसार स्वेच्छा से सूचना देने (पहल करने) की अपेक्षा की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिसे 30 दिन के भीतर आवेदक को जानकारी देनी होती है। सूचना विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियों, दस्तावेजों, कार्यों और रिकॉर्डों के निरीक्षण, अथवा कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के प्रमाणित नमूने के रूप में हो सकती है। ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) होता है। सूचना देने में जानबूझकर और अनुचित रूप से मनाही करने पर आरटीआई के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है। पीआईओ पर निम्नलिखित कारणों से 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रु तक का जुर्माना लगाया जा सकता है:

1. बिना तर्कसंगत कारण के आवेदन स्वीकार करने से मना करने पर।
2. बिना तर्कसंगत कारण के विनिर्दिष्ट समय में सूचना न देने पर।
3. बिना तर्कसंगत कारण के अथवा गलत तरीके से सूचना बताने से मना करने पर।
4. जानबूझकर अपूर्ण, गलत, भ्रामक सूचना देने पर।
5. जो सूचना मांगी गई है उससे संबंधित रिकॉर्ड को नष्ट करने पर।
6. सूचना देने के कार्य को किसी भी तरह से बाधित करने पर।

३. स्वेच्छा से सूचना देने (पहल करने) के लाभ

ग्राम पंचायत एक सार्वजनिक संस्था है और इसे पारदर्शी, जवाबदेह एवं उत्तरदायी रूप से कार्य करना होता है। इसका आशय यह है कि ग्राम पंचायतों के कार्यकरण संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचना ग्रामवासियों को दी जानी चाहिए। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों को ग्रामवासियों की मांगों को पूरा करना चाहिए और उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। उन्हें अपनी कार्रवाइयों, अथवा कार्रवाई न करने के कारणों को गांव वालों को व्यक्तिगत रूप से और ग्राम सभा के माध्यम से भी बताना चाहिए।

उदाहरण के लिए, जब ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई सड़क बन रही हो, तो लोग ठेकेदार, स्वीकृत बजट, सड़क की लंबाई और सड़क के स्थान, कार्य के पूरा होने की समय सीमा और निधियों के स्रोत जैसी जानकारी मांग सकते हैं। यदि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो, तो नागरिक अपने स्वयं के अनुमान लगा सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं, जिससे ग्राम पंचायत की मंशा के बारे में गलत छवि बन सकती है। अतः गांव वालों और ग्राम पंचायत दोनों के लिए यह फायदे की बात है कि सभी प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा, जब ग्राम पंचायत जानकारी को खुले तरीके से और बारबार देती है तो ग्रामवासी ग्राम पंचायत के साथ सहयोग करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। यदि सभी प्रकार की जानकारी स्वैच्छिक रूप से प्रकट की जाती है और उपलब्ध कराई जाती है तो इस बात की संभावना कम हो जाती है कि लोग सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करें।

४. कौनसी सूचनाएं स्वेच्छा से देनी हैं?

सूचना का अधिकार अधिनियम में पहल करने के लिए कुल 17 (सत्रह) क्षेत्रों की पहचान की गई है (नीचे बॉक्स में सूची देखें)। सलाह दी जाती है कि यह सारी जानकारी ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट,

वे मुद्दे जिन पर किसी सार्वजनिक संस्था को
सूचना का अधिकार अधिनियम (धारा ४-१ ख) के अंतर्गत स्वेच्छा से सूचना देना है

1. इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।
2. इसके अधिकारियों पर कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य।
3. निर्णय प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के चैनल शामिल है ।
4. अपने कार्यों को करने के लिए इसके द्वारा तय किए गये मानदंड।
5. अपने कार्यो को करने के लिए इसके द्वारा अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा रखे गए अथवा प्रयोग में लाए गए नियम, विनिमय, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।
6. इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।
7. इसकी नीतियों के निर्माण अथवा उनके कार्यवान्यन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श से, अथवा उनके प्रतिनिधित्व से बनाई गई किसी व्यवस्था का ब्यौरा।
8. इसके भाग के रूप में अथवा इसे सलाह देने के प्रयोजन से दो अथवा अधिक सदस्यों के साथ गठित बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, और क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों में आम लोग जा सकते हैं या उन बैठकों का कार्यवृत्त लोगों को उपलब्ध कराया जाता है।
10. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची।
11. इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इत्यादि।
12. प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और वितरण संबंधी रिपोर्टों का ब्यौरा दर्शाया गया हो।
13. सहायता (सब्सिडी) कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने का तरीका, जिसमें ऐसे कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि और लाभार्थियों का ब्यौरा शामिल हो।
14. इसके द्वारा प्रदत्त रियायतें, परमिट अथवा प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों का ब्यौरा।
15. इसके पास उपलब्ध इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखी गई सूचना का ब्यौरा।
16. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के पास उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा, जिनमें सार्वजनिक उपयोग हेतु पुस्तकालय अथवा वाचनालय के कार्य घंटों का ब्यौरा शामिल हो।
17. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण। अन्य यथानिर्धारित सूचना।

वेबसाइट और दीवार पर प्रदर्शित की जाए। इसके अतिरिक्त, यह जानकारी एक अलग फाइल में भी रखी जा सकती है जो ग्रामवासियों को सहज सुलभ हो।

इन 17 बिंदुओं के साथसाथ, ग्राम पंचायतें विशेष रूप से निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने पर ध्यान दे सकती हैं:

- जन सूचना अधिकारी (अधिकांश मामलों में यह ग्राम पंचायत सचिव होता है) और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम। (बिंदु 16)
- स्थायी समिति के सदस्यों और एसएमसी, वीएचएसएनसी आदि जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के तहत गठित सामुदायिक संस्थाओं के सदस्यों के नामों को दर्शाना। (बिंदु 8)
- योजनावार लाभार्थियों की सूची जिसमें लाभार्थी का नाम, पिता का नाम और पिछले पांच वर्ष में वितरित राशि को दर्शाया गया हो। (बिंदु 12)

- किए जा रहे मुख्य कार्यों की सूची जिसमें कार्य का नाम, कार्य का स्थान, निर्माण की अवधि, खर्च की गई राशि और किसी ठेकेदार का नाम आदि दर्शाया गया हो।
- ग्राम पंचायत स्वैच्छिक रूप से सूचना प्रदर्शित करने के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र आदि को भी प्रेरित कर सकती है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य केन्द्र निःशुल्क जरूरी दवाओं के स्टॉक, वीएचएसएनसी को आवंटित धनराशि के उपयोग को प्रदर्शित कर सकता है। स्कूल नामांकित छात्रों की संख्या, एसएमसी की बैठक के कार्यवृत्त और आवंटित अनुदान के उपयोग को प्रदर्शित कर सकता है। इसी प्रकार, अन्य संस्था संबंधित जानकारी प्रदर्शित कर सकती है।

५. ग्राम सभा में स्वेच्छा से सूचना देना (पहल करना)

ग्राम सभा जानकारी देने में पहल करने का महत्त्वपूर्ण मंच है। ग्राम सभा में दी गई जानकारी आसान भाषा में और ऐसे रूप में दी जानी चाहिए कि ग्रामवासी उसे आसानी से समझ सकें और अर्थ लगा सकें।

६. ग्राम पंचायत की वेबसाइट द्वारा स्वेच्छा से सूचना देना (पहल करना)

ग्राम पंचायत की वेबसाइट का उपयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पहल करने के लिए तथा ग्रामीणों के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। एरिया प्रोफाइलर और नेशनल पंचायत पोर्टल का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। एरिया प्रोफाइलर में, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का संक्षिप्त ब्यौरा, पर्यटकों की रूचि के स्थानों, परिवार रजिस्टर (बही), निर्वाचित प्रतिनिधियों का ब्यौरा, कर्मचारियों का ब्यौरा, स्थायी समितियों का ब्यौरा आदि प्रकाशित किया जा सकता है। नेशनल पंचायत पोर्टल में ग्राम पंचायत के पृष्ठ पर विभिन्न रिपोर्टें प्रकाशित की जा सकती हैं।

ग्राम पंचायत को स्वैच्छिक रूप से 17 बिंदुओं के अंतर्गत समस्त आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर स्थानीय भाषा में देनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवश्यरक फार्म, निविदा सूचनाओं, ग्राम सभा नोटिसों, देय करों के साथ कर निर्धारितियों (जिन्हें कर देना है) की सूची आदि भी ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए रखी जानी चाहिए। अपनी स्वयं की वेबसाइट के अलावा, ग्राम पंचायत को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के लिए नरेगासॉफ्ट जैसी योजनाविशिष्ट वेबसाइटों के माध्यम से भी विभिन्न प्रबंध सूचना प्रणालियों (एम आई एस) में सूचना अपलोड करनी चाहिए।

७. सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और सचिव को निम्नलिखित कार्रवाई करना है:

- अधिक से अधिक सूचनाओं को स्वेच्छा से देना।
- सूचना का अधिकार (आर टी आई) के तहत आवेदन को प्रोत्साहित करना और विरोध प्रदर्शित न करना।
- सूचना का अधिकार (आर टी आई) के तहत आवेदनों का एक रजिस्टर बनाना जिसमें आवेदन की तारीख, आवेदक का नाम, आवेदन का विषय, आवेदन की स्थिति (निपटान किया गया, संबंधित विभाग को अग्रेषित किया गया), लंबित आवेदन और लंबित आवेदनों पर कार्रवाई शामिल है।
- ग्राम पंचायत में लंबित आरटीआई आवेदनों की स्थिति की पाक्षिक आधार पर समीक्षा करना।

जांच सूची

- क्या हम सूचना का अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानते हैं?
- क्या ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा, सूचना पट्ट और अपनी स्वयं की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार पहल कर दी है?
- क्या सूचना का अधिकार के तहत आवेदनों पर समय पर कार्रवाई की जाती है?

संदर्भः पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं युएनडीपी द्वारा अक्तुबर, 2014 में प्रकाशित, सक्रिय पंचायत शृंखला, पुस्तक-3, ग्राम पंचायतों में अभिशासन

संदर्भ सामग्री

कार्यक्षेत्र से सीखः 'बिहाइन्ड द ब्यूटीफुल फॉरएवर्स' लिखने के दौरान कैथरीन बू द्वारा पालन की गई प्रक्रिया

कैथरीन बू द्वारा सुझाई प्रक्रिया की समझ स्थानीय कार्यकर्ताओं को क्षेत्र स्तर की जांच के लिए उपयोगी होगी, इस आशय से उन्नति के **हितेन्द्र चौहान** ने यहां उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है।

'बिहाइन्ड द ब्यूटीफुल फॉरएवर्स' - लाइफ, डैथ एन्ड होप इन मुंबई अंडरसिटी' कैथरीन बू द्वारा लिखित वास्तविकता पर आधारित (गैर-कथा) पुस्तक है। आलोचकों द्वारा प्रशंसित इस पुस्तक को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक मुंबई की एक झुग्गी बस्ती - अन्नावाड़ी के लोगों के बारे में है। इसमें उनकी गरीबी, असमानता, अन्याय, उनकी उम्मीदें, उनके उत्साह, उनके दुःख और हताशा उत्पन्न होने वाली बातें शामिल की गई हैं। वास्तविक जीवन की कहानियाँ सुनाती यह पुस्तक लेखन कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह टिप्पणी मुख्य रूप से उपरोक्त पुस्तक को लिखते समय अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में है। इस पुस्तक को लिखने के लिए अपनायी विधि कैथरीन बू द्वारा 20 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीब समुदायों के लिए कार्य करने के दौरान विकसित की गई थी। नवंबर 2007 से मार्च 2011 के दौरान कैथरीन मुंबई में रही थी जिसके दौरान उन्होंने लगभग 250 पृष्ठों की यह पुस्तक लिखी थी।

समुदाय के साथ बिताया समयः कैथरीन के अनुसार, गरीब लोगों को समझने के लिए उन लोगों के साथ समय बिताना आवश्यक है। लोगों के बारे में लिखने के लिए, लोग जहां भी जाते थे कैथरीन उनके साथ जाती थी, लोगों के कार्यों का अनुकरण करती थी और फिर लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में समझाने के लिए कहती थी। नाटकीय घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कैथरीन रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-मोटे संघर्षों का सामना करने वाले लोगों को देखती थी। उनका कहना था कि मैं उनके साथ केवल 10 से 6 बजे तक रहती तो इतनी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती थी।' कैथरीन लंबे समय तक लोगों की बातें सुनती रहती थी और फिर उन बातों को लिख लेती थी। ठीक-ठीक विवरण प्राप्त करने के लिए वे एक ही व्यक्ति से बार-बार मिलती थी। एक मामले के बारे में कैथरीन का कहना है कि उस मामले में उन्होंने एक व्यक्ति का चार बार साक्षात्कार लिया और हर बार उन्हें एक नया पहलू जानने को मिला।

घटना के तुरंत बाद लिखनाः इसके अलावा, कैथरीन घटनाओं की साक्षी बनकर घटना के तुरंत बाद साक्षात्कार और दस्तावेजों की मदद से उसे लिख लेने पर जोर देती थी। जैसे कि आत्म-समर्पण की एक घटना में उन्होंने 168 लोगों से बातचीत की थी।

ऑडियो/वीडियो साधनों का उपयोगः सटीकता के लिए और घटना का 'पुनःसर्जन' करने के लिए कैथरीन ने वीडियो और ऑडियो टेप का भी इस्तेमाल किया था। व्यक्ति को सभी विवरण याद नहीं भी रहें, इसलिए उन घटनाओं को समझने के लिए इस तरह की ऑडियो या वीडियो टेप बहुत ही उपयोगी रहती हैं। बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए कैथरीन बारबार रिकॉर्डिंग देखती या सुनती थी।

उसी नाम का उपयोगः लिखते समय उन्होंने नाम और अन्य विवरण में बदलाव नहीं किया। कैथरीन के अनुसार, लोगों को यह नहीं पता चले कि वे लोग कौन हैं तो वे किस तरह उन पर ध्यान देंगे? कैथरीन चाहती हैं कि जो उन्होंने अनुभव किया वही पाठक भी महसूस करें। इसके अलावा, वे समझाती हैं कि गरीब लोगों के जीवन के बारे में किताब लिखने का उद्देश्य सहानुभूति हासिल करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि वे अन्याय का सामना कैसे करें और अवसर कैसे प्राप्त करें।

समुदाय का प्रतिभावः शुरू में कैथरीन के साथ बात करते समय लोग गंभीर नहीं थे और लेखिका की गतिविधियां उन्हें हास्यास्पद लगती थी। हालांकि, दो महीने बाद लोगों का व्यवहार सामान्य बन गया। समुदाय के बहुत से लोग अपने अतीत की दर्दनाक घटनाओं को याद नहीं करना चाहते थे और न ही इस बारे में बात करना चाहते

शेष पृष्ठ 30 पर

गतिविधियाँ

टीएसपी (जनजातीय उप-योजना) और एससीएसपी (अनुसूचित जाति उप-योजना) के लिए धन का आवंटन करने से इनकार करना और धन का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उनके लिए निर्धारित लाभों का फायदा उठा सकें उसके लिए पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से अनुसूचित जाति (एससी) के लिए अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय उप-योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनसंख्या और केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक योजनाओं के विकास के सभी क्षेत्रों से मिलने वाले लाभों को अनुसूचित जातियों और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में भौतिक और आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध कराना है।

हाल ही में तहलका पत्रिका (खंड 11, अंक 52) के 27 दिसंबर 2014 को प्रकाशित अंक में दर्शाया गया था कि उपरोक्त वर्गों को किया जाने वाला आवंटन महज कागज पर ही सीमित रहता है, जिसके अनुसार आनुपातिक बजट को सिर्फ नोट किया जाता है, लेकिन समुदायों के वास्तविक लाभ के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता।

यह रिपोर्टिंग दलित और आदिवासी समूहों के संगठन 'दी नेशनल कोएलिशन फॉर एससीएसपी-टीएसपी लेजिस्लेशन' द्वारा आरटीआई और बजट के दस्तावेजों के विश्लेषण पर आधारित है। 7वीं से 12वीं पंचवर्षीय योजना में (2014-15 तक) दलितों और आदिवासियों को 5,27,723.72 रुपये की राशि आवंटित करने से इनकार करने के बारे में पता चला था। 30 साल की इस अवधि में केन्द्रीय बजट में 8,75,380.36 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने थे, लेकिन वास्तव में उसकी जगह 3,47,656.64 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।

धन आवंटित करने से इनकार करने के अलावा, धनराशि को उन क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो इन समुदायों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अन्य राज्यों योजना व्यय के दस्तावेजों की समीक्षा की गई। इसमें यह पता चला कि टीएसपी और एससीएसपी का पैसा सर्किट हाउस, जेल स्टाफ के लिए आवास निर्माण, सामान्य समुदाय की लड़कियों के लिए निः शुल्क साइकिल वितरण, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन का जश्न, पुल, राजमार्ग तैयार करने, मेलों का आयोजन, अदालत भवनों के निर्माण, दिवाली में उपहार और मिठाई खरीदने करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

इस संदर्भ में एनसीडीएचआर (राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान) के प्रतिनिधि श्री पॉल दिवाकर ने वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान टीएसपी और एससीएसपी के पैसे को दूसरी तरफ मोड़ने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उम्मीद करते हैं कि अगले संघीय बजट में इस मामले में ध्यान दिया जाएगा। संदर्भः 'Why They Remain On The Margins, निधेश जे. विल्लत, Tehlka.com

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मसौदे पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट

शिक्षा की तरह स्वास्थ्य को भी बुनियादी अधिकार बनाने के सुझाव के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम के लिए निवेदन किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को कवर करना माता-मृत्यु दर और शिशु-मृत्यु दर में कमी करना, निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता कानूनों और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसमें परिवर्तन जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। विश्व स्तर पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, मुख्य रूप से स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि होने की वजह से घरेलू आय का अधिकांश भाग का उपयोग हो जाता है। वर्ष 2011-12 में जेब खर्च

में से स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 6.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.5 प्रतिशत था। प्रस्तावित नीति का मुख्य उद्देश्य, मरीज केंद्रित देखभाल, देखभाल की गुणवत्ता, जवाबदेही, पेशेवर गुणों, ईमानदारी, नैतिकता और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने की पोषण क्षमता जैसे मौलिक सिद्धांतों पर आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना है।

यह मसौदा यह समझौता मानता है कि सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि करके सकल घरेलू उत्पाद का चार से पांच प्रतिशत करना आवश्यक है। अभी तक भारत में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया जा रहा है, जिसमें भी मोटे तौर पर उपयोग सिर्फ 1.04 प्रतिशत ही है। इसलिए, मसौदा नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के बराबर राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करती है।

इस नीति का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना - निःशुल्क दवा की गारंटी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निदान और आपातकालीन स्थिति में उपचार के लिए आपातकालीन देखभाल सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, इस नीति में प्रत्येक परिवार को अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का भी सुझाव दिया गया जो परिवार को प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ जोड़ता है और सेवाओं के लिए पात्रता प्रदान करता है।

संसाधनों का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करने के अलावा, इस मसौदा नीति में रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति और ग्राम संजीवनी समिति को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आशा कार्यक्रम का संवर्धन करने, स्वस्थ नागरिक अभियान के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन देना और आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति इस तरह के योग और सहायता के रूप में जैसे पारंपरिक उपचार व्यवस्था के आधार पर योग और आयुष में तेजी लाने के साथ एक समुदाय की सहायता की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। यह नीति अस्पतालों को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने और लैंगिक मुद्दों के लिए के संबंध में संवेदनशीलता सुनिश्चित करके स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता की जरूरतों के बारे में महिलाओं की पहुंच मजबूत करने का सुझाव दिया गया है।

इस नीति में 58 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उन्नत करके लगभग 15 नए एम्स अस्पतालों का निर्माण करके तीसरी श्रेणी की सेवाओं का विस्तार करने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, नेशनल ओपन स्कूल प्रणाली के अंतर्गत 'आशा' के लिए प्रमाणन कार्यक्रम (सर्टिफिकेशन प्रोग्राम) शुरू करने के लिए भी सुझाव दिया गया है। यह कार्यक्रम आशा को स्वास्थ्य केंद्रों में लगाने के लिए एएनएम में, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों प्राथमिक चयन के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा।

इस नीति में, वित्तीय संसाधन तैयार करने के लिए निधि के लिए सामान्य करों पर निर्भर रहने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, यह नीति स्वास्थ्य की उपलब्धता विकसित करेगी, जो कुछ उद्योगों से शराब तम्बाकू से प्राप्त करों के माध्यम से धन के द्वारा और संसाधन का उपयोग करने के नवीन रूपों का विकास किया जाएगा।

इस समय मसौदा नीति स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गयी है। सेन्डिंग समिति को प्रतिक्रिया भेजने की अंतिम तारीख 28 फ़रवरी 2015 है। मसौदा नीति को नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किया जा सकता है, और प्रतिक्रिया नीचे दिए गए लिंक पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है: http://www.mohfw.nic.in index1.php?lang= 1&level=1&sublinkid=4883&lid=3013

गरीब लोगों द्वारा सार्वजनिक सेवा की प्राप्तिः उचित मूल्य की दुकानों से कम मात्रा मिलने की शिकायतों का निवारण

यह लेख 'पिछड़े जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुधार करने पर' यूरोपीय संघ की सहायता से चल रही परियोजना पर हमारे काम पर आधारित है। इसमें, साबरकांठा जिले

के विजयनगर और खेडब्रह्मा/पोशीना तालुकों की चुनिंदा ग्राम पंचायतों में प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान करने के बारे में अनुभवों को दीपा सोनपाल ने व्यक्त किया है।

पिछले अंक में बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) बचत की दुकानों के मुद्दे पर पहले से राशन उपलब्ध कराने के लिए बारकोड कूपन जारी करने की और बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के लिए मुआवजे के रूप में पांच रुपये के लाभ के बारे में चर्चा की गई थी। समुदाय के साथ बातचीत के दौरान साबरकांठा जिले के विजयनगर तालुका के एफपीएस/पीडीएस के पास से एक-दो किलो अनाज कम मिलने की सैकड़ों शिकायतें बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों द्वारा की गई थी। एफपीएस दुकानों के मालिकों के साथ बात करते हुए पाया गया था कि उन्हें भी कम मात्रा मिल रही थी। साबरकांठा जिला कलेक्टर और विजयनगर तालुका के तहसीलदार को मामले के बारे में सूचित कर दिया गया था। दोनों ने ही कहा कि कम मात्रा ही मिल रही हो तो भी कुछ नहीं किया जा सकता और इस बारे में गांधीनगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ चर्चा करना जरूरी है।

इसलिए, गांधीनगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक को सूचित कर दिया गया है और विजयनगर तालुका के एफपीएस दुकान के मालिक ने - उन्हें (दुकान मालिकों को), बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या की तुलना में लगभग 100 किलो गेहूं कम मिलने की तहसीलदार को संबोधित लिखित शिकायत भी दी गई थी। इस आवेदन के आधार पर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक ने जिला आपूर्ति अधिकारी, साबरकांठा को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उनकी राय में, आपूर्ति 100 प्रतिशत थी और मात्रा को ऑनलाइन भरा गया था जिससे आपूर्ति की मात्रा कम होने की उम्मीद नहीं थी। इसके विपरीत, हर कार्ड धारक और दुकान के मालिक यह विवरण ऑनलाइन देख सकते थे। जिला आपूर्ति अधिकारी को विजयनगर तहसीलदार कार्यालय में आने पर उन्हें एफपीएस दुकान को कम मात्रा मिलने के दो कारणों का पता चला। सबसे पहले, यह मात्रा बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले कार्ड धारकों की संख्या के अनुसार ही मिलता है। इसलिए कुछ व्यक्तियों या कार्ड धारकों ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया हो और डेटा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया हो तो, दुकान के मालिक को बहुत कम मात्रा मिलेगी।

दूसरा, हरेक एफपीएस दुकान मालिकों को हर महीने शेष रही मात्रा को सत्यापित करना होता है और उसके पास कुछ भी न बचा हो तो शेष शून्य दिखाना होता है, या तालुका गोदाम से मात्रा की आपूर्ति के लिए अनुमति देते समय ने संबंधित तालुका तहसीलदार कार्यालय से या जिलाधीश कार्यालय स्थित एलआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र परिषद) से ऑनलाइन कार्य करना होता है। इस तरह, विजयनगर में एफपीएस की सभी दुकानों के लिए रास्ता खोलने और नई मात्रा का प्रारंभिक शेष शून्य किया गया और नई मात्रा नए सिरे से शुरू की गई। गोदाम में और एफपीएस दुकानों पर मात्रा की व्यवस्था 2012 से ऑनलाइन की गयी है और संभव है कि यह त्रुटि तब से चली आ रही हो। गुजरात में विशेष रूप से कम मात्रा प्राप्त करने वाले तालुकों और जिलों में मात्रा के ऑनलाइन अंतिम और प्रारंभिक शेष का सत्यापन कराया जाना जरूरी है, जिससे सभी बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारकों को पूरी मात्रा मिल सके।

सामाजिक सुरक्षा की मांग

सामाजिक सुरक्षा लाभ पर खर्च में कटौती और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के तहत कामकाज में कमी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए 2 दिसम्बर को लगभग 15,000 लोग जंतर-मंतर पर एकत्र हुए थे। 160 जन आंदोलन और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आयोजित इस अभियान के जवाब में देश भर से आए लोगों ने रैली में भाग लिया।

देश भर के अग्रणी सामाजिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने लोगों के परामर्श के आधार पर उनकी मांगों को व्यक्त किया था।' किसान शक्ति कार्यकर्ता अरुणा रॉय के अनुसार लोगों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, उनके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, और परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना ही अधिकारों को महत्वहीन बना दिया गया है। सामान्य लोगों के जीवन को प्रभावित

करने वाली नीतियों पर किसी भी निर्णय के बारे में नागरिकों की आवाज को सुना जाए और उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए, इस मांग के साथ हम यहां इकट्ठे हुए हैं।' अर्थशास्त्री जयंती घोष ने बताया कि सरकार का सामाजिक सुरक्षा पर खर्च में कमी करना अमानवीय और तर्कहीन कदम है और इससे गरीब समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

कविता श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून को कार्यान्वित नहीं किया गया है, नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, गरीबों की संख्या का पता करने के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े अभी तक घोषित नहीं किये गए और मातृत्व के दौरान भुगतान किए जाने वाले लाभों पर भी चुप्पी साधी हुई है।

पत्रिका को साक्षात्कार देते समय 'एमकेएसएस' के निखिल डे ने कहा कि, मनरेगा के कार्य दिवस कम हो गए हैं क्योंकि कार्यक्रम को नियंत्रित कर दिया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए मनरेगा के बज़ट में कटौती की गई है। इस प्रकार, एक शक्तिशाली प्रोग्राम को नष्ट किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा कानून को लागू नहीं किया गया है। राजस्थान में सरकार द्वारा संचालित 17,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। इसका कारण स्कूलों का ठीक से नहीं चलना बताया गया है। स्कूलों में शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जाता, शिक्षा की गुणवत्ता कम होने दी जाती है, और फिर आत्म संतुष्टि के लिए इस तरह का तर्क प्रस्तुत किया जाता है।

राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना की दुनिया भर में सराहना की गई थी। जेनेरिक दवाओं और जांच की सुविधा उपलब्ध करायी गई थी। उपलब्ध दवाओं की संख्या को कम करके इस योजना को झटका दिया गया था।

प्रस्तावित मांगें:

- 1968 में कोठारी समिति ने सकल घरेलू उत्पाद का 6.5 प्रतिशत शिक्षा के और स्वास्थ्य के लिए 4 से 5 प्रतिशत आवंटन करने की सिफारिश की थी। जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का चार या पांच फीसदी किया जाना चाहिए।

- मनरेगा भारत की अभिनव पहल है। इस योजना ने दर्शाया है कि ग्रामीण संपत्ति और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। परिश्रम करने वाले लोग मनरेगा में पंजीकरण कर सकते हैं।

- बजट में कटौती करने के लिए एक तर्क यह है कि राज्यों ने धन के अपने आवंटन का इस्तेमाल नहीं किया जिसका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तर्क यह है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने से पैसे का अन्यत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। मनरेगा से पता चला है कि धन की कमी है। सरकार के पास मनरेगा के लिए राज्यों के मंत्रालयों से स्वीकृत 60,000 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन उसमें से 34,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

- वन अधिकार अधिनियम को बदलने की कार्रवाई की भी आलोचना की गई है। वन भूमि का अन्य काम में उपयोग करने के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता के प्रावधान को खारिज करके, और समुदाय के वन अधिकारों को नकार के अधिनियम के प्रभाव को कम किया जा रहा है।

इस परिवर्तन में सहायक होने के लिए जन संसद में व्यावहारिक का सुझाव दिया गया था । सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार, सामाजिक सेवाओं के लिए सबसे कम खर्च करने वाले देशों में भारत का नाम भी शामिल है।

दुनिया में सबसे कम कर-जीडीपी अनुपात वाले देशों में इसका स्थान है। इसलिए, प्रगतिशील कर वसूली के माध्यम से संसाधन जुटाना आवश्यक है। कॉरपोरेट सेक्टर को दी जाने वाली कर मुक्ति और अन्य रियायतें कम करना जरूरी है। इसके लिए बजट में कटौती और धनराशि कम कर देना उचित समाधान नहीं है।

पृष्ठ 6 का शेष

30,000 रुपए का जीवन बीमा का लाभ मिलता है। ओवरड्राफ्ट, पेंशन और आत्मनिर्भरता सामग्री का भी प्रसार एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत किया जा सकता है।

विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की असरकारकता के बारे में सवाल होते हैं। अब तक इन सवालों पर ध्यान नहीं दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था में, बुनियादी बैंकिंग कामकाज के तहत इन सब सवालों पर ध्यान दिया जाएगा। एफआई में तेजी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे और भुगतान बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उम्मीद है कि ये बैंक जल्द ही इस क्षेत्र में कामकाज शुरू करेंगे। डाक घरों को डाक बैंकों में परिवर्तित होने की पूरी संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आठ कंपनियों को मोबाइल बटुआ प्रणाली की अनुमति दी है। एनबीएफसी कार्यरत हैं। इन सभी नई व्यवस्थाओं को इस प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करना होगा। बेहतर सेवा प्रदाता ही टिके रह सकेंगे और अंत में देश के नागरिक की ही जीत होगी।

पृष्ठ 21 का शेष

के स्थान पर 'साधारण कारावास का दंड जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जाएगा' रखकर संशोधन किया गया है।

(9) आपराधिक (दंड) प्रक्रिया संहिता में किए गए कुछ संशोधन

आपराधिक प्रक्रिया संहिता में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, विशेष रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

इसमें (धारा 54 ए) यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान परेड करते समय, उसका बयान दर्ज करते समय (धारा 154, धारा 161, धारा 164), मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी भाषा समझने वाला दुभाषिया या विशेष सहायक शिक्षक के समक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए।

एसिड हमले या बलात्कार पीड़िता को सरकारी या निजी अस्पताल में सभी प्रकार की प्राथमिक देखभाल तुरंत और मुफ्त दिलाने और पुलिस को इस अपराध के बारे में सूचित करने का प्रावधान धारा 375 सी के तहत किया गया है।

पृष्ठ 25 का शेष

थे। लेकिन, एक बार लोकसत्ता में कैथरीन का लेख छपा तब लोगों को पता चला कि समुदाय के साथ बैठक के दौरान जो बातचीत होती उसे कैथरीन लिखती हैं। इसके अलावा, कैथरीन को लगता है कि समुदाय के सदस्य कैथरीन के साथ लगाव के कारण नहीं बल्कि गरीबी से संबंधित कैथरीन के विचारों पर अपनी राय पेश करने के लिए भी प्रक्रिया में भाग लेते थे।

गौण साहित्य का उपयोग: इसके साथ ही कैथरीन ने पुलिस, अदालतों, सरकारी अस्पतालों और धर्मार्थ संस्थाओं से संबंधित घटनाओं को सामने लाने के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग किया। पुस्तक लिखने की प्रक्रिया के दौरान कैथरीन ने 3000 से अधिक दस्तावेजों का अध्ययन किया था।

अन्य:

- विवादास्पद तथ्यों के संबंध में कैथरीन ने बच्चों को अधिक विश्वसनीय साक्षी पाया।
- कैथरीन हमेशा उत्कृष्ट अनुवादकों की मदद लेती थी। सभी अनुवादक संवेदनशील, विचारशील थे और मुद्दों में गहरी रुचि रखते थे।
- कैथरीन ने तुलना करने के लिए और विश्लेषण को मजबूत करने के क्रम में आसपास के क्षेत्र की अन्य मलिन बस्तियों में भी काफी समय बिताया था।

आशा है कि कैथरीन द्वारा अपनायी गई विधि स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को बुनियादी वास्तविकता को समझाने में और हस्तक्षेप के लिए उचित रणनीति तैयार करने में सहायक होगी।

श्रद्धांजलि

दिवंगत चुनीभाई वैद्य को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रार्थना-सभा का आयोजन

हमारे सबके चुनीकाका - प्रखर गांधीवादी चुनीभाई वैद्य - अब हमारे बीच सदेह नहीं हैं। 19 दिसंबर 2014 - शुक्रवार की सुबह उनका निधन हो गया। चुनीकाका की चिर-विदाई से हमने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए और सबसे पिछड़े लोगों के अधिकारों के लिए सदा लड़ने वाले लोक प्रहरी को खो दिया।

उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रविवार, 21 दिसंबर को साबरमती गांधी आश्रम में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में गुजरात के दूरस्थ क्षेत्रों से ग्रामीण लोगों, स्वैच्छिक विकासकर्मियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सर्वोदय कार्यकर्ताओं, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों आदि सहित 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। सभा की शुरुआत नरेन्द्रभाई शास्त्री एवं उनकी साथी गायिका बहन के द्वारा गाई सर्व धर्म प्रार्थना से हुई। निरीक्षक पाक्षिक के संपादक, प्रकाशभाई शाह ने सभा का संचालन किया था। उन्होंने चुनीकाका को याद करते हुए कहा कि, 'डंको वाग्यो लड़वैया सूरा जागजो रे' गीत सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले चुनीकाका के लिए बिल्कुल सही बैठता है। काका को इससे बड़ी कोई अन्य श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। 1975-77 के आपातकाल के दौरान काका 'भूमिपुत्र' पाक्षिक संभालते थे। उस समय उन्होंने सरकार के खिलाफ होने का जो साहस किया उसके कारण उनका नाम देश भर में गूंजा था। इससे पहले गांधी स्मारक निधि और भूदान यात्रा संबंधी काम को भी उन्होंने बखूबी करके बताया। लोक आंदोलन उनकी लंबी उम्र और लंबे कैरियर के प्रमुख पहलू बने रहे। हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

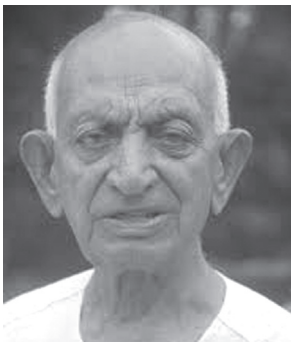

स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत घेलूभाई नायक को श्रद्धांजलि

डांग स्वराज आश्रम के संस्थापक और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री घेलूभाई नायक का निधन जनवरी 2015 में हो गया। वे डांग जिले के आहवा में रहते थे। वे आदिवासी समुदाय की शिक्षा और विकास के लिए अपनी सारी जिंदगी काम कर रहे। हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

बाड़मेर के समाजसेवी दिवगंत मगराज जैन को श्रद्धांजलि

समाजसेवी मगराज जैन का 4 नवंबर, 2015 को बाड़मेर स्थित उनके आवास में निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर बाड़मेर जिले के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। उन्हें वर्ष 1989 में राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने पद्मश्री से सम्मानित किया था।

उन्होंने 1990 में स्वयंसेवी संगठन 'श्योर' का गठन किया। इस संगठन के माध्यम से मगराजजीने शिक्षा, वंचितों की आयवर्धन, पशुपालन, कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य शुरू किया। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में दो हजार से अधिक लोक गायकों और कलाकारों को संगठित कर ग्रुप फौर नेशन का गठन किया। ट्राइसेम योजना में संशोधन करवाकर लोक गायकी और वाद्य यंत्रों के संरक्षण के लिए कार्य किया। उन्होंने जिले में होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय किया। हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्कः दीपा सोनपाल, ईमेलः sie@unnati.org, publication@unnati.org

अनुवादः आर. गुप्ता **ले-आउटः** रमेश पटेल - उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।